परिणाम बजट
2011-12

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

योजना आयोग

नई दिल्ली

वेबसाइटः www.planningcommission.gov.in

परिणाम बजट
2011-12

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वेबसाइटः **www.planningcommission.gov.in**

योजना आयोग

परिणाम बजट 2011-12

विषय सूची

		पृष्ठ
	एक्जीक्यूटिव सारांश	1-4
अध्याय 1	उद्देश्य और कार्य	5-6
अध्याय 2	भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय	7-35
	योजना स्कीमें: एक दृष्टि में	
	भौतिक और वित्तीय परिव्ययों का योजनावार वर्गीकरण	
अध्याय 3	नीतिगत पहलें	36-39
अध्याय 4	पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा	40-101
अध्याय 5	वित्तीय समीक्षा	102-107
अध्याय 6	स्वायत्त संगठनों का कार्य-निष्पादन	108-114

एक्जीक्यूटिव सारांश

भारत सरकार के संकल्प के तहत योजना आयोग 15 मार्च 1950 को अपने अस्तित्व में आया और यह इसे सौंपे गए कार्यों को विजनेस नियमावली के आवंटन के अनुरूप निष्ठापूर्वक कर रहा है। योजना आयोग का मुख्य कार्य देश के भौतिक पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन कर राष्ट्र की जरूरत के अनुसार उनकी उपलब्धता के अनुरूप कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसे संसाधनों में वृद्धि की संभावनाओं की जांच करता है एवं राष्ट्र के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी एवं संतुलित सदुपयोग के लिए योजना तैयार करता है। इसका विस्तृत ब्यौरा अध्याय - 1 में दिया गया है।

2. वार्षिक योजना 2010-11 के परिव्ययों के मुकाबले कार्य योजना निम्न प्रकार है -

(क) विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडी) योजना आयोग की पहल है, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या देने का विचार किया गया है। इससे सरकार की सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों को लक्षित करने और उनकी बेहतरीन मॉनीटरण में सहायता मिल सकेगी। इसका यह भी लक्ष्य है कि विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रचलित बहु पहचान व्यवस्था को समाप्त किया जाए।

यूआईडी स्कीम औपचारिक रूप से 29 सितम्बर, 2010 को महाराष्ट्र के नंदूरबर जिले के थम्भाली गांव में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने के बाद नौ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,त्रिपुरा, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में पंजीयन एजेंसियों के माध्यम से 12 पंजियकों द्वारा पंजीकरण किए जा रहे हैं।

35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने यूआईडीएआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञज्ञपन में परियोजना कार्यान्वयन की प्रमुख शर्तें और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की यूआईडीएआई की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और डाक विभाग 23 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय तथा प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संयुक्त संगठन द्वारा भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

22 जुलाई, 2010 को आयोजित बैठक में सीसीयूआईडीएआई द्वारा निम्न का अनुमोदन किया गया था (।) स्कीम के फेज-2 को शुरू करना और एक वर्ष की अवधि में बहुउद्देश्यीय पंजीयकों के माध्यम से 10 करोड़ निवासियों को यूआईडी संख्या जारी करना (।।) 10 करोड़ यूआईडी संख्या जारी करने, अन्य परियोजना घटकों तथा मार्च, 2014 को समाप्त परियोजना फेज की आवर्ती स्थापना लागत के लिए 3023.01 करोड़ रूपए की लागत का अनुमान।

यूआईडीएआई ने यूआईडी स्कीम के फेज-2 के भाग के रूप में अनुमोदित 10 करोड़ पंजीकरणों की सूचना प्रौद्योगिकी की अवसंरचना के सृजन के लिए प्रक्रिया आंकड़ा केंद्र की स्थापवना आवश्यक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की व्यवस्था और बायोमैट्रिक सेवा प्रदताओं के माध्यम से

डी-डुप्लीकेशन शुरू कर दी है। भारतीय डाक के माध्यम से बंदोबस्त हेतु सहायता संबंधी अवसंरचना और यूआईडी संबंधित मुद्दों पर विमर्श के लिए संपर्क केंद्र जिसमें शिकायत समाधान की व्यवस्था भी शामिल है, की स्थापना भी की गई है।

यूआईडीएआई सर्वमान्य और लागत प्रभावी ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली प्रदान करने का इरादा रखती है। आधार पर अवधारणा अध्ययन का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणन की कार्रवाई शीघ्र शुरू करने की योजना है, ताकि एकल कारक जीवंसकीकी प्रमाणन का परीक्षण, जीवांकीकी के साथ बहुउद्देश्यीय प्रमाणन और अन्य कारक जैसे निजी पहचान संख्या और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा राज्यों में गैर जीवांकीकी प्रमाणन किया जा सके।

(ख) योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली भारत के महालेखा नियंत्रण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, ताकि उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली और भारत सरकार की योजनागत स्कीमों के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रणाली स्थापित की जा सके।

दीर्घ अवधि के लिएः स्कीमवार, राज्यवार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार एजेंसियों के अनुसार वास्तविक खर्चे के विस्तृत ब्यौरों की सूचनाओं का सृजन। मौजूदा निर्गम प्रणाली से योजनागत स्कीमों के लिए निधि अंतरण की व्यवस्था को विवेकपूर्ण बनाना, ताकि निधि की उपलब्धता के आधार पर तत्काल अंतरण को सुलभ किया जा सके।

मध्य अवधि के लिएः **(i)** एनआईसी द्वारा विशेषज्ञों द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से स्कीम के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे अंतिम रूप देना।

(ii) एजी (ज), जिला और राज्य ट्रेजरीज से संपर्क स्थापित करना, ताकि योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राज्यों को जारी निधि से किए गए व्ययच की जानकारी ली जा सके।

तत्कालः (i) सार्वजनिक प्लेटफार्म स्थापनित करना, जहां सभी योजनागत स्कीमों के वित्तीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें, सर्वोत्तम एमआईएस/ डीआईएस प्रणाली और योजनागत स्कीमों के लिए मौजूदा आंकड़े और प्लेटफार्म उपलब्ध कर मुहैया कराई जा सकें।

(ii) सीपीएसएमएस की स्थापना और इसे सार्वजनिक बैंकों, निजी बैंकों और आरआरबी (ज) से जोड़ना, जिनके पास कोर बैंकिंग की प्रणाली सुलभ है, ताकि प्रत्येक खाते को मान्य किया जा सके, बैंक खातों में निधि देखी जा सके और बैंकों के दैनिक लेन-देन को अद्यतन किया जा सके।

(iii) चयनित राज्यों में सीपीएसएमएस को रोल आउट करना ताकि जारी राशि की जानकारी ली जा सके और राज्यों से जिला स्तर पर प्रत्येक कार्यान्वयन स्तर जारी राशि को ट्रैक किया जा सके।

(iv) योजनागत स्कीमों के लिए राज्यवार आबंटन की जानकारी लेना ताकि प्रत्येक स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य के लिए किए गए योजना आबंटन की राशि के समान या उससे कम राशि की अनुमति प्रणाली के तहत दी जा सके।

(ग) "सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम का उपयोग विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) द्वारा वर्ष 2010-11 में अनुमोदित प्रमुख स्कीमों के मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है।

(घ) योजना आयोग और राज्य सरकारें "जिला आयोजना के लिए क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी सहायता" स्कीम का कार्यान्वयन कर रही हैं, जो कि यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना है।

(ड़) मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान (एआईएमआर) की स्थापना सोसायटीज विनियमन अवधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1962 में की गई थी। आईएएमआर का वित्तपोषण योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में किया जाता है तथा इसकी अपनी ठेका अनुसंधान परियोजनाओं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त राजस्व के माध्यम से भी सहायता मिलती है। आईएएमआर का प्रमुख उद्देश्य इन्हें एक संस्थागत रूपरेखा के रूप में विकसित करने का रहा है, जिसमें अधिक मात्रा में मानव संसाधन मानव पूंजी तैयार करने हेतु महत्वपूर्ण परिणामों के लिए विधिवत जनसंसाधन अनुसंधान आयोजना प्रक्रिया का संचालन धारणीय क्षमता के साथ हो सके। संस्थान की गतिविधियां निम्नानुसार हैं -

(i) मानव संसाधनों की प्रकृति, विशेषताओं और उनके सदुपयोग के बारे में अध्ययन करना

(ii) मूल्यांकन अध्ययन करना

(iii) कार्य दल के विकस एवं प्रशिक्षण हेतु ध्यानकेंद्रण मांग और आपूर्ति के लिए प्रणालियां विकसित करना और

(iv) आर्थिक विकास के लिए जनसंसाधन की भावी संभावनाएं तलाशना

(v) जन संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को सहयोग देना

(vi) जन संसाधन आयोजना संबंधी तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देना

(vii) सरकार, सार्वजनिक/ निजी क्षेत्रकों और अन्यों को अनुसंधान सेवाएं प्रदान करना, और

(viii) दक्षता विकास मिशन के लिए कार्य करना।

वार्षिक योजना 2011-12 के लिए कार्य योजना इस प्रकार हैः-

आईएमएआर में मौजूदा रूचि के विषयों से संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, अनुसंधान अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। आईटीआई और एटीएस और दक्षता विकास पहलों आदि के बारे में अध्ययन करना।

(च) आर्थिक सलाहकार परिषद् की स्थापना प्रमुख आर्थिक मुद्दों के संबंध में विभिन्न सरकारी मदों पर जानकारी देने की दृष्टि से सुनवाई बोर्ड कें रूप में की गई है। अनेकों आर्थिक संगठनात्मक ढांचों, जो अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभिन्न अर्थशास्त्रियों की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, का समय-समय पर आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा पुनर्गठन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलहाकार परिषद की सेवा और शर्तें निम्न प्रकार हैं -

i. प्रधान मंत्री द्वारा इसे संदर्भित किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उसके बारे में सलाह देना।

ii. बृह्द आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करना और प्रधान मंत्री को उनके विचारों से अवगत कराना। यह या तो प्रधान मंत्री से संदर्भित या अपने आप या अन्य किसी से भी संबंधित हो सकता है।

iii. बृह्द आर्थिक मुद्दों और आर्थिक नीति हेतु विवक्षित मुद्दों के संबंध में प्रधान मंत्री को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

iv. प्रधान मंत्री की इच्छानुसार किसी अन्य कार्य को देखना।

प्रशासनिक, बंदोबस्ती, आयोजना और बजटीय उद्देश्य के लिए योजना आयोग आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के लिए नोडल एजेंसी है। वर्ष 2010-11 के लिए प्रधान मंत्री के ईएसी प्रभाग को 1.42 करोड़ रूपए का अलग बजट आबंटित किया गया है। दिसंबर, 2010 को समाप्त अवधि के लिए व्यय की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रधान मंत्री के ईएसी कार्यालय द्वारा बजट का लगभग 1.059 करोड़ रूपए (74.58%) का सदुपयोग किया जा चुका है।

(छ) न्यू कार्बन इकॉनमी पर विशेष दल को न्यू कार्बन विकास पर भारत के रोडमैप की आउटलाइनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है।

(ज) दक्षता विकास पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद पर प्रधान मंत्री के सलाहकार, जिनका रैंक कैबिनेट मंत्री के स्तर का है, का अनुमोदन किया जा चुका है।

अध्याय 1
उद्देश्य एवं कार्य

योजना आयोग, भारत सरकार के 15 मार्च 1950 के संकल्प के तहत अस्तित्व में आया था। इसे सौंपे गए कार्य निम्न हैं :

(क) देश के भौतिक, पूंजीगत और मानव संसाधनों, जिनमें तकनीकी कार्मिक भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना, और राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार जहां इनकी उपलब्धता में कमी हैं, वहां पर ऐसे संसाधनों में बढ़ोत्तरी संबंधी संभावनाओं की जांच करना।

(ख) देश के संसाधनों के सर्वोत्तम प्रभावी एवं संतुलित सदुपयोग के लिए योजना तैयार करना।

(ग) प्राथमिकताओं के निर्धारण के अनुसार चरणों का निर्धारण, जिसके तहत योजनाओं का निष्पादन किया जाए, एवं प्रत्येक चरण पर कार्य निष्पादन के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रावधान करना।

(घ) ऐसे कारकों की ओर संकेत करना, जो आर्थिक विकास में पुराने होते जा रहे हैं और उन परिस्थितियों का निर्धारण करना, जो मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में योजना के सफल निष्पादन के लिए स्थापित की जानी चाहिए।

(ड.) मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण इस प्रकार करना, जो सभी प्रकार से योजना के सभी स्तरों के लिए सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हो।

(च) योजना के प्रत्येक स्तर पर हासिल प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और नीति एवं उपायों के संबंध मे समायोजनों की सिफारिश करना, जहां, ऐसे मूल्यांकन करना आवश्यक हों, एवं

(छ) ऐसी अंतरिम या सहायक सेवाएं प्रदान करने की सिफारिशें करना, जो इसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में या मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों मौजूदा नीतियों, उपायों और विकास कार्यक्रमों या ऐसी विशिष्ट समस्या की जांच के बाद जिसे उचित प्रतीत हो, जिसका संदर्भ सलाह के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा भेजा गया हो।

2. उपर्युक्त संकल्प के अनुसार योजना आयोग मंत्रिमंडल को सिफारिश करेगा। अपनी सिफारिशें करते समय योजना आयोग केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों से परामर्श एवं नजदीकी सूझबूझ रखेगा। निर्णय लेने एवं उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों की होगी।

3. योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों एवं संसाधनों को सुदृढ़ करने, सभी अहम पहलुओं में सामान्य आर्थिक नीतियों का विकास करने और देश के सभी भागों में संतुलित एवं द्रुत विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1952 में निर्णय लिया था कि भारत सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 6 अगस्त, 1952 के संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की स्थापना का निर्णय लिया था। संकल्प के अनुरूप योजना आयोग के सचिव एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और एनडीसी के सचिवालय का कार्य योजना आयोग करेगा। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 1967 में इसकी पुनः समीक्षा की गई और निर्णय लिया कि एनडीसी का पुनगर्ठन किया जाए और 7 अक्तूबर, 1967 की गजट अधिसूचना के अनुसार इसके कार्यों को पुनर्परिभाषित किया जाए, जैसा कि नीचे दिया गया है ---

(i) योजना के लिए संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजना तैयार करने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित करना।

(ii) योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार।

(iii) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रश्नों पर विचार।

(iv) समय - समय पर योजना की समीक्षा करना एवं आवश्यक उपायों की सिफारिश करना,

(v) ताकि लक्ष्य एवं उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के लिए स्थापित किए जा सकें और

(vi) उन्हें प्राप्त किया जा सके, इनमें लोगों की सक्रिय सहभागिता और सहकारिता प्राप्त करने संबंधी उपाय, प्रशासनिक सेवाओं की क्षमता में सुधार, कम उन्नत क्षेत्रों और समुदाय के सभी समूहों में पूर्ण विकास सुनिश्चित करना एवं सभी नागरिकों के समान त्याग के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के माध्यम से संसाधनों का निर्माण करना।

4. उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना आयोग को भारत सरकार (बिजनेस आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार कार्य सौंपे गए हैं (जैसा कि अन्य मंत्रालयों/ विभागों में होता है)। तदनुसार योजना आयोग ने एनडीसी, एनडीसी की उपसमितियों, कार्यदलों, उच्च अधिकार प्राप्त समितियों और विशेषज्ञ समूहों आदि की बैठकें करवाई हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अंतरित करने से पहले, उसे सभी प्रकार की बंदोबस्ती सहायता भी इसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रकोष्ठ (एनकेसी सैल) जिसे 1 अप्रैल, 2009 तक जारी रखा गया था और एनकेसी को बंद कर दिया गया, जिसे 30 सितम्बर, 2009 को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में योजना आयोग इन्फ्रॉस्ट्रक्चर समिति (सीओआई) का सचिवालय भी है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद सार्वजनिक सूचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवप्रवर्त्तन (पीआईआई) पर प्रधान मंत्री के सलाहकार के कार्यालय के लिए नोडल एजेंसी भी है। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) की स्थापना 11.2.2010 को 18 माह की अवधि के लिए की गई है।

अध्याय 2
भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय परिव्यय

योजना आयोग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना है। इन दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाला व्यय प्राथमिक रूप से योजना आयोग के गैर योजनागत परिव्यय के रूप में वित्तपोषित होता है। वर्ष 2011-12 के दौरान मुख्य भौतिक डिलीवरेबल्स वार्षिक योजना 2012-13, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण प्रारूप तैयार करना है।

राष्ट्रीय योजनाओं, मध्यावधि मूल्यांकन एवं वार्षिक योजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, राज्य योजनाओं और विभिन्न रिपोर्टों, जो कि योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती हैं, से संबंधित सूचनाएं एवं योजना आयोग के बारे में अन्य अहम सूचनाएं वेबसाइट www.planningcommission.gov.in पर उपलब्ध हैं।

योजना आयोग के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 2011-12 (बजट अनुमान) का आवंटन रुपये 1600.00 करोड़ किया गया है, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्रक के तहत फैली प्लान स्कीमों की सामान्य गतिविधियों के लिए रुपये 130.00 करोड़ है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्यक्रमों के लिए 1470.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है।" प्लान स्कीम एक दृष्टि में" के अंतर्गत विवरण 2010-11 (बजटीय अनुमान) स्कीमवार परिव्यय और 2010-11 (संशोधित अनुमान) और वार्षिक योजना 2011-12 (बजट अनुमान) अन्य भौतिक लक्ष्यों के अनुमानों के साथ प्रत्येक स्कीम के उल्लेख आगामी पृष्ठों में दर्शाए गए हैं।

प्लान स्कीमों की प्रकृति इस प्रकार है कि अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं आदि के लिए अलग से निधि / लक्ष्यों का आवंटन आदि नहीं दर्शाया जा सकता। फिर भी योजनाओं के कार्यान्वयन के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समाज के कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए। गैर - योजना परिव्यय आवश्यक रूप से स्थापना खर्च से संबंधित है। अतः इसे विवरण के अंत में "प्लान स्कीमें एक दृष्टि में" के तहत दर्शाया गया है। फिर भी इसे योजना आयोग, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आईएएमआर) के लिए अलग से दर्शाया गया है।

योजना मंत्रालय
प्लानस्कीमें - एक दृष्टि में

(करोड़ रुपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2010-11 (बअ)		वार्षिक योजना 2010-11 (संअ)		वार्षिक योजना 2011-12 (बअ)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परिव्यय 2011-12 (बअ)
		योजना परिव्यय		योजना परिव्यय		योजना परिव्यय		
		जीबीएस	कुल	जीबीएस	कुल	जीबीएस	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें							
1.	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण	1900.00	1900.00	960.66	960.66	1470.00	1470.00	लागू नहीं
2.	कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण	15.11	15.11	10.60	10.60	20.71	20.71	लागू नहीं
3.	योजना निर्माण मूल्यांकन एवं समीक्षा (पूर्व में योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल)	14.00	14.00	13.50	13.50	14.00	14.00	लागू नहीं
4.	जिला स्तरीय योजना प्रक्रिया की क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी से सहायता	13.19	13.19	13.19	13.19	9.17	9.17	लागू नहीं
5.	आयोजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	11.88	11.88	10.69	10.69	10.51	10.51	लागू नहीं
6.	पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास हेतु नए प्रयास	10.00	10.00	8.41	8.41	8.41	8.41	लागू नहीं
7.	सरकारी क्षेत्र में मूल्यांकन क्षमता सुदृढ़ीकरण	10.00	10.00	5.75	5.75	10.00	10.00	लागू नहीं
8.	आईएएमआर को सहायता अनुदान	5.50	5.50	5.50	5.50	7.71	7.71	लागू नहीं
9.	योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता	4.40	4.40	3.85	3.85	5.50	5.50	लागू नहीं
10.	प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थागत विकास आदि के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	लागू नहीं
11.	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	1.42	1.42	1.60	1.60	2.39	2.39	लागू नहीं
12.	सावर्जनिक सूचना, अवसंरचना और नवप्रवर्त्तनों पर प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय	5.00	5.00	3.25	3.25	7.00	7.00	लागू नहीं
13.	न्यून कार्बन व्यवस्था पर विशेषज्ञ समूह	2.00	2.00	0.50	0.50	2.00	2.00	लागू नहीं
14.	परिवहन नीति पर विशेषज्ञ समूह	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	लागू नहीं
15.	वित्तीय असंरचना पर उच्च स्तरीय समिति	--	--	--	--	2.00	2.00	लागू नहीं
16.	जीवनयापन विकास रणनीतियों की सहायता के लेए यूएनडीपी	2.40	2.40	2.40	2.40	--	--	लागू नहीं

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम	वार्षिक योजना 2010-11 (बअ)		वार्षिक योजना 2010-11 (संअ)		वार्षिक योजना 2011-12 (बअ)		पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित परिव्यय 2011-12 (बअ)
		योजना परिव्यय		योजना परिव्यय		योजना परिव्यय		
		जीबीएस	कुल	जीबीएस	कुल	जीबीएस	कुल	
	सहायता							
	नई स्कीमें							
17.	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण	--	--	--	--	**25.00**	**25.00**	लागू नहीं
18.	पश्चिमी घाट सचिवालय	--	--	--	--	**0.50**	**0.50**	लागू नहीं
I	**योजना परिव्यय**	2000.00	2000.00	1045.00	1045.00	1600.00	1600.00	लागू नहीं
II	उपर्युक्त स्कीमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-योजना परिव्यय :	59.32	59.32	72.66	72.66	76.00	76.00	लागू नहीं
	(i) पीईओ के लिए गैर-परियोजनागत परिव्यय	**4.80**	**4.80**	**6.00**	**6.00**	**7.15**	**7.15**	लागू नहीं
	(ii) आईएएमआर के लिए गैर-योजनागत परिव्यय	**5.50**	**5.50**	**6.00**	**6.00**	**5.70**	**5.70**	लागू नहीं
III	**कुल परिव्यय (योजनागत + गैर-योजनागत)**	**2059.32**	**2059.32**	**1117.66**	**1117.66**	**1676.00**	**1676.00**	लागू नहीं

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाईबल डिलीवरेबल्स	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	देश में प्रत्येक निवासी को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना. • पहचान के एकल स्रोत के माध्यम से अनेक सेवाएं लेने के लिए बारबार अनेक पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराने के झंझट से पीछा छूटेगा और इससे गरीब और हाशिये पर रह रहे लोग भी शामिल हो सकेंगे और इससे गतिशील प्रवासियों को भी पहचान मिल सकेगी।	1470.00	फेज-II 1. पंजीकरण 2. एमएसपी का चयन	देश में 20 करोड़ निवासियों का पंजीकरण करना और आईडी संख्या (आधार) जारी करना। दीर्घ अवधि के लिए इस पर प्रबंधित सेवा प्रदाता एमएसपी का चयन करना ताकि निम्न परियोजनाओं के प्रौद्योगिकीय पहलुओं का प्रबंधन किया जा सके जैसे - (क) आंकड़ा प्रबंधन (ख) प्रणाली एकीकरण (ग) बीएसपी (घ) बंदोबस्त आदि एक मुक्त निविदा इन्क्वारी के माध्यम से एमएसपी का चयन किया जाएगा और इस फेज में प्रक्रियाएं चलती रहेंगी।	मार्च, 2012 दिसम्बर, 2012	केंद्रों के स्तर पर लगभग सभी चरणों में राज्य सरकारों और अन्य इकाइयों की सहभागिता और सहकारिता की जरूरत रहेगी। यह प्रमुख जोखिमों में से एक है जिस पर इस परियोजना में विचार किया गया है। अन्य जोखिम स्वामित्व से संबंधित है (पणधारियों द्वारा परियोजना के स्वामित्व की जोखिम)। प्रौद्योगिकी की जोखिम (दुनिया में

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाईबल डिलीवरेबल्स	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
		• इससे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम और सार्वजनिक सेवाएं मुहैया कराने में भी सहायता मिलेगी और अनेकों करोड़ों से जुड़ जाने के कारण एक्सचेकर की बचत भी होगी। • प्रमाणन सेवाएं देने के कारण राजस्व मॉडल दीर्घकालीन दृष्टि से यूआईडीएआइ का स्वयं संधारणीय बना सकता है। इससे सेवा प्रदाताओं की केवाईसी लागत		3. प्रापण/ अनुमोदन • ईएफसी 3 • मंत्रिमंडल का अनुमोदन 4. प्रमाणन और अद्यतन पर अवधारण अध्ययन का प्रमाण।	इस फेज के दौरान कुछ घटकों के प्रापण की प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। परियोजना के प्रमुख घटकों के डीपीपआर तैयार हो जाएंगे और सम्पूर्ण परियोजना के लिए ईएफसी और मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। प्रणाली में निवासियों का पूरे मानक पर पंजीकरण किया जाएगा। प्रमाणन सेवाएं भी शुरू की जाएंगी एवं सीआईडीआर को प्रबंधित सेवा प्रदाताओं को दीर्घकालीन ठेके के आधार पर सुपुर्द कर दिया	अप्रैल, 2011 जून, 2011 अक्तूबर, 2011	कहीं भी इस प्रकार की बड़ी परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है) और प्राइवेसी कनसंर्स प्राइवेसी के मुद्दे उठाने वाले समूह हो सकते हैं। प्राइवेसी समूहों के विरोध के कारण पश्चिमी देशों में कई आईडी परियोजनाएं करनी पड़ी हैं। प्राधिकरण इसके लिए जोखिम से निपटन की रणनीतियां बना रहा है जिससे कुछ जोखिम को कम से कम किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव निवासियों को प्रदान किये जाने वाले पंजीकरण हेतु उसकी लागत

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12 (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाईबल डिलीवरेबल्स	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
		भी कम हो जाएगी।		5. प्रमाणिक कार्रवाई	जाएगा। इस फेज के दौरान सभी प्रणालियां और प्रक्रियाएं व्यवस्थित कर दी जाएंगी। सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की बेहतरीन डिलीवरी और आधार का उपयोग करते हुए पहचान का प्रमाण देना ताकि प्रमाणन के लए ऑनलाइन आधार पर प्रमाणन का विकास किया जा सके।	दिसम्बर, 2011	रजिस्ट्रार्स को प्रतिपूर्ति करने के बारे में है। प्रौद्योगिकी संबंधित जोखिम जैसे जीवांकिकी के मिलान में शामिल थ्रेशोल्ड।

कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011.12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कार्यालय पद्धति का आधुनिकीकरण		20.71				
(i)	नवीकरण एवं परिवर्तन	कार्यालय परिसरों, समिति कक्षों का नवीकरण और उनमें परिवर्तन लाना, जिनमें कार्यालय उपस्करों का प्रापण करना भी शामिल है।			कार्य का बेहतरीन माहौल	जी.एफआर. 2005 के अनुसार संबंधित एजेंसियां जैसे - सी.पी.डब्ल्यू.डी., निविदा, डी.जी.एस. एंड डी., खरीद समिति, सरकारी एम्पोरियम आदि के माध्यम से प्रापण/ प्रावधान करना।	सिविल एवं विद्युत कार्यों को पूरा करने की शर्त पर प्रापण। प्रापण। कार्यात्मक जरूरत के अनुसार किया जाएगा।
(ii)	सूचना प्रौद्योगिकी	हार्डवेयर आइटम्स जैसे - वॉलवीडियो एनआईसी के माध्यम से वीओआईपी की स्थापना, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स, बहुउद्देश्यीय प्रिंटर्स, नेट स्टोरेज प्रणाली, सॉफ्टवेयर पैकेज (जैसे - एडोब रीडर, एमएस आफिस, जीआईएस, लाजिस्टिक, एसपीएसएस आदि का प्रापण आदि)			उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ बेहतर नेटवर्किंग एवं तीव्रता संचार प्रणालियां।	जी.एफ.आर. 2005 के अनुसार टेंडर डीजीएस एंड डी खरीद समिति आदि के माध्यम से प्रापण/ व्यवस्था।	प्रापण कार्यात्मक जरूरत के अनुसार किया गया।

योजना निर्माण का मूल्यांकन एवं समीक्षा(पूर्व में योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल)

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	योजना निर्माण का मूल्यांकन एवं समीक्षा(पूर्व में योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल)		**14.00**				
		(i) राज्य विकास रिपोर्टें (एसडीआर) तैयार करना		8 एसडीआर (एस) को अंतिम रूप देना अर्थात मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पांडिचेरी।	संबंधित एसडीआर (एस) तैयार करना।	12 माह	एसडीआर्स को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार की टिप्पणियां की जाती हैं।
		(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) तैयार करना।		13 मानीटरेबल सूचकांकों में परम्परानुसार आवश्यकतानुसार अध्ययन रिपोर्टों को अंतिम रूप देना, राज्यों फ्लैगशिप स्कीमों का निष्पादन और 10वीं और 11वीं अवधि में राज्यों का निष्पादन।	एमटीए रिपोर्ट तैयार करना।	3 माह	राज्य सरकार द्वारा एसडीआर(एस) टिप्पणी देने में देरी होने के कारण उन्हें अंतिम रूप देने

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
		(iii) सार्वजनिक सेवाओं से नागरिकों की संतुष्टि के संबंध में अध्ययन रिपोर्टें, सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए फीडबैक लेना। कार्यक्रमों का मॉनीटरण और कम समय में सुधारात्मक कार्य करना।		राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई एजेंसियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के संबंध ग्राहकों की संतुष्टि पर अध्ययनों को अंतिम देना।	कर्नाटक, पंजाब, नागालैण्ड, सिक्किम और दादर नागर हवेली में सार्वजनिक सेवाओं पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना।	12 माह	में देरी हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा एजेंसियों से आंकड़े लेने और योजना आयोग से अध्ययन रिपोर्टों पर परामर्श में देरी। राज्य सरकार द्वारा लगाई गई एजेंसियों द्वारा सर्वे कराने और सरकारों के परामर्श से रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में देरी।
	11वीं योजना और उसके बाद के लिए मॉडलिंग कार्य पर अध्ययन	भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु मूल सामान्य साम्य मॉडल/ मैक्रो मॉडल्स विकसित करना, ताकि सरकार के विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यक्रमों और		(i) सप्रमुख मॉडल और अनेक मॉडलों का विनिर्माण कर मौजूदा मॉडलों का क्षेत्र और उसकी संरचना को बढ़ाना। (ii) मौजूदा सीजीई मॉडल्स के अद्यतनीकरण में शामिल है - ट्रेड एवं टैक्सिज में मध्यवधि के दौरान 8-10%	ईआईसीः वित्तीय क्षेत्रक मॉडलिंग, निर्यात कार्य, जिस में जनरल साम्य	12 माह	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
		कल्याण संबंधी विवक्षाओं पर इन योजनाओं में विचार किए जा सके।		विकास दर को हासिल करना, विविधिकरण, खाद्य सुरक्षा और जीवनयापन के मदुदे, कृषि निवेश, राजकोषीय नीति के मुद्दे आदि। (iii) बृह्द आर्थिक और सीजीई मॉडल दोनों का सुधार और अनुरक्षण तथा डेटाबेस तथा प्रमुख मापदंडों की दृष्टि से इन मॉडलों को नियमित रूप से अद्यतन करना। (iv) बृह्द आर्थिक नीति सिमुलेशन मॉडल विकसित करना। प्रस्ताव में प्रमुख मॉडल में 16 व्यावहारिक इक्वेशन्स हैं और छह पहचान हैं, जिस में अर्थव्यवस्था के रियल मॉनेटरी क्षेत्रक, बाह्य और राजकोषीय क्षेत्रक की प्रमुख संरचनाएं हैं।	मॉडल पर स्पर्धातमक आधार पर समावेशी विकास विश्लेषण क्षमता निर्माण और निहित कार्य शामिल है। आईजीआइडी आर - न्यू सामाजिक लेखांकन मैट्रिक्स (एसएएम) का विनिर्माण किया गया है। 11वीं योजना और उसके बाद के लिए संदर्भित नीति विश्लेषण हेतु	यथोपरि यथोपरि	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
					भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए स्पर्धात्मक जनरल साम्य (सीजीई) मॉडल विकसित करना। एनईएईआर देश में चालू और उभरती बृह्द पर संक्षिप्त प्रस्तुति। बृह्द अर्थ व्यवस्था के परिदृश्य में मॉडल आधारित कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। संस्थान ने जीडीपी के लिए तिमाही		

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
					आधार पर काय करना शुरू कर दिया है।		
	आदर्श स्वास्थ्य व्याप्ति पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईओ)	12वीं योजना के लिए व्यापक रणनीति निर्धारित करना।		विशेषज्ञ समूह अपना पहला प्रारूप चार माह की अवधि में प्रस्तुत करेगा और इसके गठन की तारीख 5 अक्तूबर, 2010 से आठ माह के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।	उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की आरंभिक बैठक 18 अक्तूबर, 2010 को योजना आयोग में संपन्न हुई, उसके बाद टेलीकांफ्रेंसिंग और उसके बाद पीएचएफआई परिसर में एचएलईजी की तीन दिवसीय बैठक हुई और इसकी अन्य तीन	8 माह	परियोजना के संदर्भ में की जाने वाली यात्रा की व्यवस्था, आवास, विशेषज्ञ परामर्श और एचएलईसी की समग्र तकनीकी सहायता हेतु निधि का प्रावधान भी रखा गया है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
					दिवसीय बैठक के आयोजन का मामला प्रगति पर है।		
	प्रकाशनों का मुद्रण - रियायती मॉडल समझौते (एमसीए)	(i) अवसंरचना प्रभाग के प्रस्तावों के खर्चों को पूरा करना, प्रकाशनों जैसे मॉडल रियायती समझौते (एमसीए(ज)/संगोष्ठी/ सेमीनार। - सुधार के लिए कार्यशालाएं विकसित करना, नीतिगत पहलें आदि और अवसंरचना आदि मुद्दों से संबंधित रिपोर्टों के बारे में परामर्श।		**माडल रियायती समझौते** अवसंरचना पर एमसीए का मुद्रण जैसे - ● राष्ट्रीय राजमार्ग पर एमसीए ● राज्य राजमार्गों पर एमसीए ● राज्य राजमार्गों के रखरखाव प्रचालन पर एमसीए ● राष्ट्रीय राजमार्गों पर एमसीए (6 लेन) ● शहरी रेल ट्रांजिट प्रणाली पर एमसीए ● मालगाड़ियों के प्रचालन पर एमसीए ● नॉन मैट्रो हवाई अड्डों पर एमसीए ● ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों पर एमसीए ● रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एमसीए ● पोर्ट टर्मिनल्स पर एमसीए ● लोका- मोटिव्ज के अनुरक्षण सह	ऐसी नीतियां शुरू करना, जिनसे विश्व श्रेणी की अवसंरचना का समयबद्ध सृजन सुनिश्चत हो जाए, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की समतुल्य सेवाएं प्रदान करना, जिससे सरकारी और गैर- सरकारी भागीदारिता की भूमिका में	12 माह	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
				प्रापण पर एमसीए • मॉडल पारेषण समझौता **बीडिंग दस्तावेज** • पीपीपी परियोजनाओं की योग्यता के लिए मॉडल रिक्वैस्ट (आरएफक्यू) • पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के लिए मॉडल रिक्वैस्ट (आरएफपी) • तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों हेतु मॉडल रिक्वैस्ट (आरएफपी) • विधिक सलहाकारों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों हेतु मॉडल रिक्वैस्ट (आरएफपी) • ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों हेतु मॉडल रिक्वैस्ट (आरएफपी) **दिशा-निर्देश** • अवसंरचना में पीपीपी माध्यम को वित्तीय सहयोग (वीजीएफ स्कीम) • पीपीपी परियोजनाओं का निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन	अधिकतम वृद्धि हो।		

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
				(पीपीपीएसी) ● भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 के माध्यम से अवसंरचना परियोजना का वित्त पोषण। **रिपोर्ट्स** रिपोटों, दिशा - निर्देशों का मुद्रण जैसे- ● राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम ● हवाई अड्डों के वित्त पोषण के लिए योजना ● बंदरगाहों के वित्त पोषण के लिए योजना ● एनएचएआई की पुनर्संरचना ● पीपीपी परियोजनाओं का मॉनीटरण ● 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रक्षेपणः अवसंरचना में निवेश ● दिल्ली - मुम्बई और दिल्ली हावड़ा फ्रेट कॉरिडोर्स ● बड़े बंदरगाहों की सड़क - रेल संपर्कता ● कस्टम्स प्रक्रिया और कंटेनर फ्रेट स्टेशन और पोर्ट की फंक्शनिंग ● एयरकार्गो और एयर पोर्ट्स पर			

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
				कस्टम्स प्रक्रिया का सरलीकरण • विद्युत क्षेत्रक में खुली पहुंच के लिए प्रचालन संबंधी उपाय • पोर्ट टर्मिनल्स के लिए किराया निर्धारित करना • पोर्ट पर ठहरने का समय कम करना • एयरपोर्ट के टर्मिनलों की क्षमता के लिए मानदण्ड और मानक निर्धारित करना • सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन • परामर्शदाताओं का चयनः सर्वोत्तम प्रणालियां • अवसंरचना में विनियमितता हेतु अवधारण • आरएफक्यू दस्तावेजों के बारे में पूछे जाने वाले आम प्रश्न **परामर्शदाता** • 4 युवा व्यावसायिकों की नियुक्ति जिसमें एक युवा विधिक व्यावसायिक भी शामिल है। • रियायती दस्तावेजों की जांच और विधीक्षा के लिए दो विधिक		12 माह	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
				परामर्शदाता लगाए गए और अब तक 95 दस्तावेजों की विधीक्षा की जा चुकी है। **सम्मेलनः** • 5 जुलाई, 2010 को राज्य राजमार्ग के संबंध में पीपीपी पर सम्मेलन। • विद्युत के संचरण के संबंध में पीपीपी पर 2 नवम्बर, 2010 को सम्मेलन।		स्कीम की चयन समिति के अनुमोदन के अनुसार	

यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना -- " जिला स्तरीय योजना प्रक्रिया की क्षमता विकास "

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
4	"जिला स्तरीय योजना प्रक्रिया की क्षमता विकास " यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना	1. प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना ताकि वे जिला योजना पर यूएनडीएएफ के 7 राज्यों में पीआरआई(ज) और कर्मचारियों की क्षमता के विकास हेतु नीतिगत रूपरेखा तैयार कर सके। 2. जिला योजना शुरू करने के लिए 30 जिलों को प्रशिक्षित किया गया और डीपीसी सदस्यों, कर्मचारियों और पीआरआई(ज) के सदस्यों को (तीनों स्तर पर) प्रशिक्षण प्रदान किया। 3. राज्य सरकार की क्षमताओं और समन्वय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया ताकि वे आवश्यकता अनुसार जिला विकास योजनाएं तैयार कर उनका विकास कर सकें। 4. जिला योजना प्रक्रिया में समावेश योजना और एकीकृत मॉनीटरण के लेए सहभागिता हेतु जवाबी अवधारणाएं। 5. विकेन्द्रित जिला योजना के लिए योजना आयोग और अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य संस्थानों को दिशा-निर्देशों, स्कीमों, मैनुअल्स एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम मे सुधार के लिए फीड बैक देना।	9.17	1. समन्वय और अभिसारण व्यवस्था लागू करना। 2. जिला योजना के लिए बुनियादी इनपुट के रूप में स्थिति के अनुसार विश्लेषण (डीएचडीआर) (ज) जिला और स्थानीय कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाना। 3. जिलों की क्षमता बढ़ाना तकि वे सरकारी कार्यक्रम से संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकें। 4. जिला योजना संकेतक तैयार करना। 5. जिलों की क्षमता में वृद्धि करना ताकि वे सरकारी कार्यक्रमों से प्राप्त अधिकतम संसाधनों का उपयोग कर सकें।	1. पहचान किए जिलों में स्थितिगत विश्लेषण1 2. पहचान किए जिलों में एकीकृत जिला योजना तैयार करना। 3. कार्यों की बढ़ी हुई क्षमताएं ताकि जिला आयोजना एमडीजी (ज) हासिल कर सके।	अगस्त, 2009 से दिसम्बर, 2012.	परियोजना को अगस्त, 2009 में अनुमोदित किया गया था। उपलब्धियां राज्य सरकार की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करेंगी।

आयोजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक नि-पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	योजना लेखाकरण एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	केन्द्रीय प्लान स्कीमों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली/ निर्णय सहायता प्रणाली का विकास।	**10.51**	1) सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना पहुंचाना।	1) सकल बजटीय सहायता एवं व्यय के स्कीमवार ब्यौरे सार्वजनिक क्षेत्र पर दर्शाए जाएंगे।	1) एक व्यापक रोड मैप जिसमें नयाचारों पर विचार करना शामिल है का लेखा तैयार किया जाएगा ताकि उसे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रणाली पर रखा जा सके।	पिछले कॉलम्स में दर्शाया गया कार्य क्षेत्र से यह पता चलता है कि पी.ए. और पी.एफ.एम.एस . के लिए पदों के सृजन का प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा।
				2) सर्वोत्तम प्रणालियां।	2) सीपीएसएमएस - सीबीएस इंटरफेस लेखा नम्बरों को प्रत्येक के आधार पर वैधता देंगे तथा बैंक खातों में निधि की वैधता दर्शाएंगे तथा बैंकों द्वारा दैनिक लेनदेन के ब्यौरे भी अद्यतन किए जाएंगे।	2) प्रक्रिया अधीन सहभागी बैंकों के साथ परामर्श के बाद प्रणाली का विकास किया जाएगा।	परियोजना की बहु पणधारी प्रकृति को देखते हुए परिणामों और उपलब्धियां, कार्यक्रम प्रभागों, मंत्रालयों,

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक नि-पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
							योजना आयोग, राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों की की सक्रिय पर निर्भर करता है।
				3) प्रत्येक योजना स्कीम के तहत बजट का राज्यवार आबंटन।	3) इससे योजना आबंटन संबंधी बजट में जमा की गई राशि के बराबर या उससे कम राशि को सिस्टम में स्वीकृति दी जाएगी जिसे प्रत्येक राज्य को स्कीम के तहत आबंटित किया गया है।	3) प्रणाली में उचित माड्यूल तैयार किया जाएगा ताकि मंत्रालय सीपीएसएमएस पोर्टल पर प्लान स्कीमों के लिए राज्यवार बजट के आबंटन को रख सकें।	राज्य वित्त विभाग स्कीम के प्रभारी राज्य सचिवों और कार्यान्वयन एजेंसियों से सक्रिय सहयोग की जरूरत होगी।
				4) व्यापक परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।	4) डीपी ओर परियोजना के क्षेत्र एवं जरूरतों को अंतिम देने में सहायता करेंगे।	4) एनआईसी के माध्यम से डीपीआर तैयार करने के कार्रवाई की आउटसोर्सिंग परामर्शी फर्म -	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक नि-पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
				5) 4 राज्यों - पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और मिजोरम में स्कीमों के लिए सीपीएमएस का प्रसार, एसएसए/ एनआरएचएम/ नरेगा/ पीएमजीएसवाई। 6) सीपीएसएमएस के लिए वैब आधारित एप्लिकेशन की सुरक्षा आडिट का विकास। 7) डेटा वेयर हाउस की स्थापना।	5) राज्य से जिला स्तर तक कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर निधि की ट्रैकिंग और जारी राशि की जानकारी लेना। 6) प्रणाली की सुरक्षा के लिए प्रचालन के दौरान विभिन्न जोखिमों से बचने के लिए यह आवश्यक है। 7) यह ठीक समय पर भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रणाली प्रदान करते हुए उसमें सहभागी	केपीएमजी द्वारा कराई गई है। 5) मध्य प्रदेश, पंजाब, मिजोरम और बिहार में निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में पायलट्स की शुरूआत की जाएगी। (i) एनआरएचएम (ii) एसएसए (iii)पीएमजीएसवाई (iv) एनआरईजीएस 6) एप्लीकेशन की सभी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रणाली को रीडिजाइन करना। 7) सीपीएसएमएस, एनआईसी के लिए समर्पित डाटा केंद्र की स्थापना के लिए डेटा वेयर हाउसिंग	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक नि-पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
				8) खजाने के साथ जोड़ना।	बनेगा। 8) इससे प्रणाली के तहत केन्द्रीय एवं राज्य के हिस्से एवं घटकवार व्यय संबंधी ब्सयौरे सभी योजनागत स्कीमों के लिए प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा अनुदानवार, स्कीमवार और एजेंसीवार प्रभावी एमआईएस सुनिश्चित होगी। निधियों का राज्यवार संवितरण होगा तथा राज्य सरकारों के साथ प्रतिवेदनों को शेयर किया जाएगा।	जरूरतों का आकलन किया जाएगा। 8) सीपीएसएमएस और महालेखाकार कार्यालय के ट्रेजरी सिस्टम के बीच अंतरभीति ख्.जाना संपर्कों के लिए पायलट्स उड़ीसा और महाराष्ट्र में शुरू किए जाएंगे, जहां खजानों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।	

सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से दक्षता विकास हेतु नए प्रयास

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से दक्षता विकास में नई पहल	इसका उद्देश्य है कि दक्षता प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाया जाए और विभिन्न केंद्रीय/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों एवं निजी क्षेत्र के प्रयासों में तालमेल रखते हुए उसमें विस्तार करके तंत्र को और युक्तियुक्त बनाना।	8.41	दक्ष मानव शक्ति के सृजन के लिए नीतियां/ रणनीतियां विकसित करना।	वर्ष 2022 तक 50 मिलियन दक्ष मानव शक्ति	i) व्यावसायिक अध्ययनों के संचालन सहित निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाताओं की नियुक्ति (क) सतत आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन। (ख) डैफीशिट मैपिंग सहित दक्षता मैपिंग। (ग) स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए रणनीति स्थापित कर सहायता करना और राज्य सरकारों/ उद्योगों से सहयोग लेकर प्रमाणन - प्रणालियां तैयार करना। ii) व्यावसायिक अध्ययनों आदि पर दक्षता मैपिंग शुरू करने के लिए राज्य दक्षता मिशन का वित्त पोषण करना। iii) राज्य सतर पर परियोजना के परिणामों और डेलीवरेबल्स के मॉनीटरण के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। iv) एनएसडीसीबी बैठकों और समिति की बैठकों/ संगठित उप समितियां या अन्य जो एनसीडीसीबी द्वारा गठित की जानी है के लिए आकस्मिक खर्चों की प्रतिपूर्ति। v) योजना आयोग के एलईएम प्रभाग के भीतर दक्षता विकास प्रकोष्ठों का प्रचालन करना।	लागू नहीं।

सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण (करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निपादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण	योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विकास मूल्यांकन सलाकार समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार मूल्यांकन अध्ययन हाथ में लेना।	10.00	*विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, 2010-11 में 12 अध्ययन हाथ में लिए जाएंगे। **इन 12 अध्ययनों में से 10 मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं (संलग्नक)।		मूल्यांकन अध्ययन 12 महीने तक की अवधि में पूरे किए जाने हैं।	1. प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब, विशेष रूप से मूल्यांकन अध्ययनों के बाह्य स्त्रोतों से कराने से सम्बन्धित कार्य और अध्ययन डिजाइन को तैयार करने में विलम्ब, अपेक्षित अनुसूचियां तैयार करना, और संगत एजेंसियों से पर्याप्त सूचना की समय पर प्राप्ति। 2. अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर रिक्तियां, परिणाम प्राप्त करने के मार्ग की प्रमुख रुकावट है।

नोटः (क) संबंधित मंत्रालय एवं विषय प्रभाग के परामर्श से बैकवर्ड नोट तैयार कर लिए गए हैं।

(ख) अध्ययनों के पर्यवेक्षण और मॉनीटरण के लिए परामर्श मूल्यांकन मॉनीटरण समिति गठित करने की कार्रवाई जारी है।

*

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (2) कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (3) एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना (4) अनुसूचित जाति उप योजना विशिष्ट केन्द्रीय सहायता योजना और अनुसूचित जन जाति विशिष्ट केन्द्रीय सहायता योजना (5) असहाय व्यक्तियों को फिटिंग सहायता/ एप्लाइनसिज खरीद के लिए सहायता की योजना (6) छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों में एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (7) नवोदय विद्यालय समिति (8) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन (9)सुक्ष्म सिंचाई (10)

सड़कों के लिए पीपीपी परियोजना (11) देश के 33 लैफ्ट विंग एक्सटेंशन जिलों में 9 विकासात्मक कार्यक्रमों पर अध्ययन (12) पिछड़ा जिला पहलें एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पर अध्ययन

* *

(1) पी-3 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूल्यांकन अध्ययन आऊटसोर्सिंग की प्रक्रिया अधीन हैं।

(2) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों पर मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है और उसे अनुमोदित कर दिया गया है।

(3) राजीव गांधी ग्राणीण विद्युतीकरण योजना पर मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन पूरी कर ली गई है।

(4) शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण (एडीआईपी) व्यक्तियों को सहायता संबंधी मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

(5) लघु सिंचाई पर मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

(6) लक्षित सार्वजनिक वितरण पर मूल्यांकन अध्ययन की आउटसोर्सिंग कर ली गई है।

(7) जनजातीय उपयोजना के लिए विशिष्ट संवैधानिक सहायता पर मूल्यांकन अध्ययन की आउटसोर्सिंग कर ली गई है।

(8) पिछड़ा राहत अनुदान निधियों पर मूल्यांकन अध्ययन की आऊट सोसिंग कर ली गई है।

(9) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

(10) अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति की योजना पर मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

आई.ए.एम.आर. को सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	आई.ए.एम.आर. को सहायता अनुदान		7.71			शून्य	एस.एफ.सी. के माध्यम से अवसंरचना सुविधाओं के लिए योजना अनुदान

1. कॉलम संख्या 2 के मद बजट अनुमान विवरण (एसबीई) व्यय बजट खंड 2 में शामिल हैं। एसबीई में सूचीबद्ध प्रमुख कार्यक्रम अनिवार्यतः अलग से दर्शाए जाने चाहिएं जबकि एसबीई के छोटे मद सुविधानुसार मिला देने चाहिए। स्कीमों को वीडआउट करने की कार्रवाई उप महत्वपूर्ण वित्तीय परिव्ययों या ने उन्हें प्रमुख बड़े कार्यक्रमों में उचित रूप से मिलाने की कार्रवाई अलग से शुरू की जा रही है।
2. कॉलम संख्या 4(I) और 4(II) के आंकड़े बजट अनुमान विवरण (एसबीई) व्यय बजट खंड-2 में योजनागत बजट आंकड़े जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटनीय राशि भी शामिल है जो कि कुछ एक मुश्त आबंटन में से ली गई है।
3. कॉलम 4(III) के आंकड़े अनुपूरक रूप से बजटीय संसाधनों से तात्पर्य है कि इस उद्देश्य के लिए इकाइयों द्वारा केन्द्र सरकार के अलावा संसाधनों से किया गया खर्च है, जोकि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों या संसाधनों के लिए राज्य सरकारों से बराबर शेयर किया जाएगा, या इसे सार्वजनिक क्षेत्रकों के उपक्रमों के संसाधनों द्वारा जुटाया जाएगा या सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के संबंध में इन संसाधनों का योगदान निजी पक्षों द्वारा किया जाएगा, इसमें सीपीई के संबंध में बजट अनुमान विवरण के अनुसार आईईबीआर भी शामिल होगा, जिसे व्यय बजट खंड-2 में शामिल किया गया है, जिसे एक फुट नोट के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा।

योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	आयोजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता	विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के माध्यम से योजना आयोग को उपलब्ध तकनीकी सहायता में इजाफा करना।	5.50	कुछ विशिष्ट कार्यों/ संदर्भ सेवाओं के लिए योजना आयोग को सीमित अवधि के लिए निर्धारित समय के अंदर अधिकतम 60 परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों की सेवाएं हायर करना।	परिणाम (निष्पादन) आवश्यकता आधारित हैं।	(i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार विशिष्ट कार्यों के लिए परामर्शदाता लगाए गए। (ii) इंटर्नशिप स्कीम के अनुसार योजना आयोग के लिए इसके विभिन्न प्रभागों में स्नातकोत्तर/ अनुसंधान के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रदान की गई। (iii) निक्सी के माध्यम से व्यावसायिकों की सेवाएं किराए पर ली गई।	कोई कमी नहीं रही।

विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थागत विकास आदि के लिए अनुदान सहायता

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिए परिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को योजना के विकास और अनुसंधान कार्य के लिए अनुदान सहायता	आर्थिक/ सामाजिक विकास के मदों पर अनुसंधान को सुदृढ़ करना जिनके मूल्यांकन की आवश्यकता है और उनकी नीतियों, योजनाओं और सरकार की स्कीमों तथा उनकी आयोजनाओं की विकास की प्रक्रियाओं पर जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।	2.10	प्रत्येक वर्ष अनुदान सहायतार्थ औसत रूप से 20 अनुसंधान अध्ययनों और 30 सेमीनारों/ कार्यशालाओं मूंजूरी प्रदान की जाती है। संशोधित एसआईआर दिशा - निर्देशों (अक्तूबर, 2009) के तहत योजना आयोग की वैबसाइट पर ध्यान केंद्रण वाले क्षेत्रों/ विषयों को रखा जाएगा ताकि योजना आयोग से संबंधित अध्ययनों हेतु प्रस्ताव लिए जा सकें।	संबंधित विषय प्रभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को अध्ययन की अंतिम रिपोर्टें सेमीनारों हेतु आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी ताकि वे केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के आवश्यक उपयोग के लिए भेज सकें और विकास संबधी कार्यक्रमों के लिए उन्हें वार्षिक योजनाओं को बेहतरीन बनाने के लिए उन पर चर्चा कर सकें।	सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में सलाहकारों के समूह की सिफारिशों पर अध्ययन संबंधित विषय के सदस्य द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।	योजना पद्धति में अध्ययन और अन्वेषण के लिए यह एक केंद्रीय प्लान स्कीम है। पिछले 50 वर्षों से योजना आयोग संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है।

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2011-12 के लिएपरिव्यय (करोड़ रूपये में)	क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक निष्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	1. प्रधान मंत्री द्वारा इसे संदर्भित किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उसके बारे में सलाह देना। 2. बृहद् आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करना और प्रधान मंत्री को उनके विचारों से अवगत कराना। यह या तो प्रधान मंत्री से संदर्भित या अपने आप या अन्य किसी से भी संबंधित हो सकता है। 3. बृहद् आर्थिक मुद्दों और आर्थिक नीति हेतु विवक्षित मुद्दों के संबंध में प्रधान मंत्री को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 4. प्रधान मंत्री की इच्छानुसार समय पर दिए गए अन्य कार्यों को देखना।	2.39	जिन मामलों में प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा सलाह मांगी गई, उनमें प्रधान मंत्री को सलाह देना और सिफारिशें करना।	प्रश्नों के विश्लेषण और उत्तर समयबद्ध होते हैं और निरन्तर आधार पर किए जाते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद् आवश्यकता के अनुसार समसामयिक आर्थिक मुद्दों के बारे में अपने आप भी रिपोर्टें भेजती हैं।		आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा दी गई नीतिगत सलाह बहुत से मुद्दों पर प्रधान मंत्री कार्यालय के नीतिगत हस्तक्षेपों का हिस्सा बनी है। इसका स्वरूप ऐसा है कि इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अध्याय-3

नीतिगत पहलें

योजना आयोग का अवसंरचना प्रभाग उन नीतियों को तैयार करने में लगा है, जो विश्व स्तरीय अवसंरचना के समयबद्ध सृजन को सुनिश्चित कर सके, अंतर राष्ट्रीय मानकों के बराबर सेवाएं मुहैया करा सकें, सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर संरचनाओं का विकास कर सके और प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का मानीटरणकरते हुए स्थापित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करता है। 2011-12 के दौरान विकास का जोर भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास पर रहेगा। अवसंरचना के सचिवालय के कार्यों के लिए व्यय की पूर्ति योजना आयोग की "योजना निर्माण, मूल्यांकन एवं समीक्षा " नामक स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।

अवसंरचना प्रभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं-

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और अवसंरचना क्षेत्रक की निजी क्षेत्रक परियोजनाओं के संबंध में नीतिगत कागजात तैयार करना। इस कार्य के लिए सचिवालय स्वतंत्र विशेषज्ञों, भागीदारों, संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के विषय विशेषज्ञ प्रभागों की सहायता लेने का प्रयास करेगा। इस संदर्भ में वह परामर्श, अनुसंधान लेगा तथा सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं आदि का आयोजन भी करेगा, ताकि उपयुक्त सुधार और नीतिगत पहलें विकसित करने पर विचार किया जा सके।

2. योजना आयोग ने " सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण " नामक योजनागत स्कीम की पहल की है, ताकि 2006-07 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मूल्यांकन अध्ययन शुरू कर सके ताकि मंत्रालय की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और योजना आयोग, केंद्रीय क्षेत्रक की विकास स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करा सके, जिसमें फ्लैगशिप कार्यक्रम भी शामिल हैं। मूल्यांकन की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने की दृष्टि से 11वीं योजना दस्तावेज में पीईओ को सुदृढ़ करने और योजनागत स्कीम में ठोस आबंटन बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

3. "योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली " नामक योजनागत स्कीम (जिसे सीपीएसएमएस के नाम से भी जाना जाता है) 2008-09 में शुरू की गई, जिसे महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम का लक्ष्य भारत सरकार की योजनागत स्कीमों हेतु उपयुक्त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करना है। इसका विचार है कि भारत सरकार द्वारा जारी सभी निधियों की ट्रैकिंग करना है, जो ठीक कार्यान्वयन से शुरू होती है, जैसे विशेष उद्देशीय व्यवस्था/स्वायत्त निकाय/ एनजीओ (ज)/ वैयक्तिक इकाइयां आदि। सीपीएसएमएस और सहभागी बैंकों की कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बीच अंतर संबंध स्थापित करते हुए यह स्कीम ठीक एवं सही समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों का स्वयं सत्यापन करेगी, सभी खातों में लेन-देन और व्यय न की गई राशि और खातों में खाली पड़ी निधि

का लेखा रखेगी। प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि प्लान स्कीमों की प्रचालन एजेंसियों के कार्यान्वयन के स्तर क्रम से घटकवार व्यय का पता लगाया जा सके।,

यह प्रणाली, मौजूदा निधि अंतरण प्रणाली कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ न्यूनतम फ्लॉट रखने में सुधार ला सकती है। जिला खजानों, राज्य खजानों और संबंधित महा लेखाकरों के साथ सीपीएसएमएस के आंतरिक संबंधों से प्रत्येक योजना स्कीमों के तहत सदुपयोग की गई निधि का ब्यौरा भी रखा जा सकता है।

भारत सरकार केस भी सिविल मंत्रालयों द्वारा जारी राशि के संबंध में सीपीएसएमएस का कार्यान्वयन कर दिया गया है और डीपीआर तैयार की जा रही है, ताकि राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर स्कीम को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके।

4. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) योजना आयोग के अधीन 2009 में स्थापित की गई थी, ताकि पूरे देश में निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा सके। उसके बाद काफी प्रगति हुई है और औपचारिक रूप से यूआईडी स्कीम की शुरूआत 29 सितम्बर, 2010 को महाराष्ट्र के नांदूरबर जिले के थम्भाली गांव में की गई।

वित्तीय समावेशन के भाग के रूप में यूआईडीएआई वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी कर रही है, ताकि उनके माध्यम से पंजीकरण में वृद्धि की जा सके और आधार पंजीकरण के दौरान निवासियों को बैंक खाते उपलब्ध कराए जा सकें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी आधार संख्या को वित्त मंत्रालय द्वारा 16 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से मान्यता दी गई है, जो कि सरकारी दृष्टि से वैध दस्तावेज है, जो बैंक खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों को संतुष्ट करेगा। अधिसूचना के माध्यम से गरीबों के वित्तीय समावेशन में बढ़ने की संभावना है और इसके बाद आसानी से उनकी पहचान स्थापित करने के लिए बैंक खाता खोलने हेतु उन्हें अलग रखना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, यूआईडीएआई, एनपीसीआई के साथ घनिष्ठता के साथ मिल कर सहायता के लिए आधार के माध्यम माइक्रो एटीएम्स से लघु भुगतान में सहायता हो सके।

यूआईडीएआई का प्रयास है कि एक सर्व मान्य/ उपलब्ध लागत प्रभावी ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली प्रदान की जाए। ऑनलाइन आधार प्रमाणन में विचार किया गया है कि अन्य योगदानों जीवांकीकी सहित के साथ आधार संख्या का सत्यापन और प्रमाणन किया जाए। यह पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करेगी और उपस्थिति के प्रमाण को सथापित करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी हाल ही में अधिसूचित किया है कि आधार को पहचान और पते के प्रमाण के रूप का एक वैध प्रमाण माना जाएगा क्योंकि आधार संख्या प्रमाणन प्रक्रिया में पहचान और पते की पुष्टि के बाद ही दी जाती है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बिल, 2010, मंत्रि मंडल के अनुमोदन के बाद संसद अधिनियम के माध्यम से बना है, जो कि सांविधिक प्राधिकरण "भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण " के रूप में होगा, जिसे 3दिसम्बर, 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे संसदीय स्थायी वित्त समिति को संदर्भित कर दिया गया था।

5. योजना प्रणाली में अध्ययन एवं जांच के सहयोग के लिए समाज आर्थिक अनुसंधान की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित एसईआर दिशा निर्देशों का अक्तूबर, 2009 से अनुपालन किया जा रहा है। 2010-11 के दौरान योजना आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों द्वारा पहचान किए गए विषयों/ ध्यान क्षेत्रों पर अनुसंधान अध्ययन पर स्कीम के तहत अध्ययन शुरू करने के लए प्रस्ताव सरकारी वैबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए ले लिए गए हैं।

6. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति, जो प्रधान मंत्री द्वारा गठित की गई है, एक सलाहकारी निकाय है और ऐसे मुद्दों पर प्रधान मंत्री को सिफारिशें करती है, जिन पर पीएमओ द्वारा सलाह मांगी जाती है। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति आवश्यकता के अनुसार समसामयिक आर्थिक मुद्दों पर यथावत रिपोर्टें भी भेजती है। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति को मिले अधिकांश मुद्दे समयबद्ध होते हैं। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति को सलाहकारी निकाय के रूप में स्वतंत्र रूप से कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेने हैं लेकिन ईएसी द्वारा दी गई सलाह अनेक मुद्दों पर प्रधान मंत्री और पीएमओ के नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में होती है।

7. दशकों से परिवहन क्षमता का विकास अपर्याप्त ही रहा है, बढ़ी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत के संबंध में भीड़ बढ़ना, सम्पत्ति ह्रास, ऊर्जा की अधिक खपत, समग्र अर्थ व्यवस्था की क्षमता पर ढ़ीला प्रभाव देखा गया है। हाल ही के वर्षों में अधिक आर्थिक लचीलेपन के कारण आर्थिक विकास में तेजीआई है, जिस से परिवहन की मांग और बढ़ी है। इन विकासात्मक बातों को देखते हुए प्रस्ताव है कि एक माध्यम तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाए, जो दीर्घ कालीन राष्ट्रीय परिवहन नीति के परिप्रेक्ष्य में हो, जो कि परिवहन के वैकल्पिक साधनों में समन्वय को प्रोत्साहित करे एवं और धारणीय एकीकृत परिवहन प्रणाली के प्रावधान को सुनिश्चित करे, जो न्यूनतम लागत और अधिकतम कुशलता के साथ वस्तुओं और लोगों की गतिशीलता की पुष्ट कर सके।

8. भारत में न्यून कार्बन इकॉनामी के लिए रणनीति तैयार करने के लिए योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन कयि है। इस समूह की संदर्भ शर्तें निम्न प्रकार हैं -

(i) विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार न्यून कार्बन विकास/ भारत में न्यून कार्बन पाथ्स पर मौजूदा अध्ययनों की समीक्षा।
(ii) भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए विभिन्न न्यून कार्बन विकल्पों का आकलन करने के लिए, जरूरत के अनुसार और आगे विश्लेषण करना।
(iii) भारतीय न्यून कार्बन विकास हेतु रोडमैप तैयार करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

9. दक्षता विकास पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद हेतु प्रधान मंत्री के सलाहकार के रूप में, जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का है, की नियुक्ति की गई है।

10. प्रधान मंत्री के सलाहकार की संदर्भ शर्तें, प्रधान मंत्री को सलाह देना होगा और निम्न क्षेत्रों का पर्यवेक्षण करना हैः-

(i) दक्षता विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति विकसित करना, जिसमें राज्य स्तर पर भिन्नताएं भी हो सकती हैं।

(ii) दक्षता विकास के क्षेत्र में अंतरालों का मैपिंग और दक्षता संबंधी कमियों के समाधान के लए रणनीतियां विकसित करना।

(iii) रोजगार के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे क्षेत्रकों में दक्षता विकास को बढ़ाना।

(iv) विभिन्न् मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा दक्षता विकास कार्यक्रमों की रिमॉडलिग के बारे में सलाह देना।

(v) दक्षता विकास के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में और वृद्धि करना।

(vi) दक्षता विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर उसका कार्यान्वयन करना ताकि देश के भीतर और अधिक रोजगार के अवसर सृजित हों और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार मानव संसाधनों का सृजन हो।

(vii) दक्षता विकास पर प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के माध्यम से राष्ट्रीयय दक्षता विकास निगम, केंद्र और राज्यों द्वारा शुरू की गतिविधियों हेतु मार्ग दर्शन देना।

अध्याय 4
पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा
(2009-10 और 2010-11 के दौरान)

4.1 2009-10 के दौरान योजनागत स्कीमों के विगत के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

4.1.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण (यूआईडीएआई)

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	120.00	30.92	25.67	1. देश में प्रत्येक निवासी को विशिष्ट (यूनीक) पहचान प्रदान करने के लिए ड्राफ्ट अवधारण और कंसैप्ट पेपर्स तैयार करना जिनका संबंध भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों से रहेगा। 2. यूआईडी संख्या के सृजन के लिए आवासियों से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने के लिए जनांकिकीय और आंकड़ा सत्यापन मानक एवं प्रक्रियाएं स्थापित करना। 3. अनन्यता के स्थापन के लिए आवश्यक बायोमैट्रिक सूचनाएं एकत्रित करने के लिए बायामैट्रिक मानक	**संलग्नक-2**	1. अवधारण प्रारूप प्रधान मंत्री परिषद को सौंपे और 12 अगस्त, 2009 को आयोजित इसकी पहली बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया। 2. इस उद्देश्य के लिए जनांकिकीय एवं आंकड़ा मानक समिति ने अपनी रिपोर्ट निर्धारित तारीख से पहले ही प्रस्तुत कर दी थी और रिपोर्ट को यथावत स्वीकार कर लिया गया। 3. बायोमैट्रिक्स स्टैंडर्डस समिति ने भी अपनी रिपोट निर्धारित समय पर पूरी कर ली है, इसे नए वर्ष में प्रस्तुत	कोई कमी नहीं रही है।

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
					निर्धारित करना। 4. राज्य सरकारों, भारत के मंत्रालयों/विभागों और पणधारियों के साथ परामर्श करना। 5. कंसैप्टस के प्रूफ और पायलैट (पीओसी (ज)।		भी कर लिया था और यह पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर ली गई है। 4. 20 राज्यों के मुख्य मंत्रियों, पणधारियों और भारत सरकार के मंत्रालयों, विभिन्न संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों से परामर्श किया गया। 5. पायलैट्स और पीओसी आयोजित करने के लिए अब प्राथमिक कार्य शुरू हो गया है और मानक भी निर्धारित कर लिए गए हैं। इस कार्य में शामिल हैं - कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रापण, आंकड़ा परीक्षण केंद्र की स्थापना, प्रौद्योगिकी दल की स्थापना और फील्ड कार्य के लिए दलों को तैयार करना।	

4.1.2 कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण

4.1.2 (i) नवीकरण एवं परिवर्तन

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण नवीकरण एवं परिवर्तन	15.00	15.00	9.44	समिति कक्षों सहित योजना आयोग के कार्यालय परिसर का नवीकरण और परिवर्तन और हैवी ड्यूटी के आधुनिक कार्यालय उपस्करों की प्राप्ति।	कार्य के लिए बेहतरीन वातावरण तैयार करना।	समिति कक्षों, अधिकारी कक्षाओं, प्रभागों को विभिन्न तलों पर विद्युत कॉरिडोर रिनोवेशन के साथ आधुनिक और अभिवर्द्धित किया जा सके। फर्नीचर प्राप्त कर उसका अनुरक्षण किया जा सके और बेहतरीन कार्य वातावरण बनाने के लिए कार्यात्मक जरूरतों के अनुसार अन्य कार्य निष्पादित किए जा सकें।	कोई विशेष कमी नहीं है।

4.1.2 (ii) सूचना प्रौद्योगिकी

क्र.सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
2.	कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण सूचना प्रौद्योगिकी	8.00	8.00	5.39	हार्डवेयर जैसे - कंप्यूटरर्स, लैपटोप्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क प्राप्ति के लिए नेटवर्किंग स्विचों की उपलब्धता, डेटा बैक अप, वाई-फाई, सिस्को आधारित कंट्रोलर, फायरफ्रूफ नेटवर्क डेटा सैंटर जो प्रणाली में आपदा प्रबंधन के रूप में कार्य करेगा आदि की व्यवस्था	उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ तीव्रतर संचार प्रणाली के साथ बेहतरीन नेटवर्किंग	मौजूदा वित्त वर्ष में आबंटित 8.00 करोड़ यपए में से 2.00 करोड़ रूपए एनआईसी के लिए जारी कर दिए गए ताकि सभी राज्यों/ यूटी (ज) के डीजीपी (ज) को वीओआईपी की सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। बजट का उपयोग कंप्यूटरर्स, लैपटॉप/ एलजे, एमएफपी, कलर एलजे, पीएसएस सॉफ्टवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर की खरीद के लिए किया गया।	कोई कमी नहीं हुई।
	जोड़	**23.00**	**23.00**	**14.83**				

4.1.3 योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल (i) राज्य विकास रिपोर्टें (एस.डी.आर) तैयार करना। (ii)राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार योजना आयोग के पी.सी.पी.पी.एफ. से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता । iii) अवसंरचना प्रभाग एमसीए के प्रकाशन से संबंधित मुद्रण के व्यय की प्रतिपूर्ति तथा नीतिगत पहलों आदि के लिए सुधारों हेतु सेमिनार/	30.71	10.00	9.84	• 5 राज्य विकास रिपोर्टें (एस.डी.आर.) को अन्तिम रूप देना। • मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की परियोजना रिपोर्टों को अन्तिम रूप देना और उचित जांच के बाद पी.सी.पी.पी.एफ. के अन्तर्गत अन्य राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर प्रक्रिया करना। माडल रियायती समझौते अवसंरचना क्षेत्रक पर एमसीए का मुद्रण यानि • राष्ट्रीय राजमार्ग पर एमसीए • बंदरगाहों पर एमसीए • राज्य राजमार्गों पर एमसीए	5 एस.डी. आर. को अन्तिम रूप देना। हिमाचल प्रदेश में और मध्य प्रदेश की टसर विकास परियोजना में जल संसाधनों के इष्टतम और संयुक्त उपयोग के बारे में डी.पी.आर. को अन्तिम रूप देना।	(i) सिक्किम, केरल, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप की एस.डी.आर. (ज) जारी की जा चुकी हैं। पांडिचेरी, दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, अरूणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की एसडीआर (ज) तैयार हो गई हैं और मुद्रण अधीन हैं। (ii) लोकटक लेक और संबंधित वैटलैंडस जो मणिपुर रिवर बेसिन के लिए प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु डी.पी.आर. तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता रिलीज़ की गई थी जैसे कि राज्य मणिपुर की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह दर्शाया है कि नियुक्त की	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
	कार्यशालाएं एवं विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों के परामर्श संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति				• ओएमटी पर एमसीए • शहरी रेल आवागमन प्रणाली पर एमसीए • रेलवे स्टेशन के विकास पर एमसीए • बंदरगाह ट्रमिनलों पर एमसीए • माडल ट्रांसमिशन समझौते **बीडिंग दस्तावेज** • पीपीपी परियोजनाओं की योग्यता के लिए मॉडल रिक्वैस्ट (आरएफक्यू) • पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों के मॉडल रिक्वैस्ट • तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव हेतु मॉडल रिक्वैस्ट • विधिक सलहाकारों की नियुक्ति के लिए	ऐसी नीतियां शुरू करना, जो विश्व श्रेणी की अवसंरचना, तुलनीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की डिलिवरिंग सेवाओं का समयबद्ध सृजन सुनिश्चित करेंगी, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता की भूमिका अधिकतम हो जाएगी।	गई एजेंसी को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ संशोधनों के साथ सुझाव दिए गए हैं। यथा अनुमानित भागीदारी	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
					प्रस्तावों हेतु मॉडल रिक्वैस्ट ● ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों हेतु मॉडल रिक्वैस्ट **दिशा-निर्देश** ● अवसंरचना में पीपीपी माध्यम को वित्तीय सहयोग (वीजीएफ स्कीम) ● पीपीपी परियोजनाओं का निरूपण, मूल्यांकन और अनुमोदन (पीपीपीएसी) ● भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 के माध्यम से अवसंरचना परियोजना का वित्त पोषण। **रिपोर्टस** ● राष्ट्रीय राजमार्ग			

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10(करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
					विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण ● हवाई अड्डों के वित्त पोषण के लिए योजना ● बंदरगाहों के वित्त पोषण के लिए योजना ● एनएचएआई की पुनर्संरचना ● पीपीपी परियोजनाओं का मॉनीटरण ● 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रक्षेपणः अवसंरचना में निवेश ● दिल्ली - मुम्बई और दिल्ली हावड़ा फ्रेट कॉरिडोर्स ● रोड रेल बड़े बंदरगाहों को जोड़ना ● कस्टम्स प्रक्रिया और कंटेनर फ्रेट स्टेशन और पोर्ट की फंक्शनिंग परामर्शदाताओं का चयन, सर्वोत्तम प्रणालियां। अवंसरचना विनियमन की एक अवधारणा।			

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10(करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
					आरएफक्यू दस्तावेजों पर आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न। **<u>परामर्शदाता</u>** ● 4 युवा व्यावसायिकों की नियुक्ति जिसमें एक विधिक परामर्शदाता विधिक व्यावसायिक भी शामिल है। ● रियायती दस्तावेजों की जांच और विधीक्षा के लिए दो विधिक परामर्शदाता लगाए गए और अब तक 95 दस्तावेजों की विधीक्षा की जा चुकी है। **सम्मेलनः** 23 मार्च, 2010 को अवसंरचना निर्माण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया।			

4.1.4 जिला स्तरीय योजना प्रक्रिया की क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी से सहायता

क्र. सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/ परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	'जिला स्तरीय योजना प्रक्रिया की क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी से सहायता" एकीकृत एवं समावेशी जिला योजना अपनाई गई।	**7.77**	**7.77**	**7.77**	जिला योजना में जिलों को सहायता के लिए रणनीति	समन्वय और अभिसारण की व्यवस्था की गई	रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं।	1. कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार किया जा रहा है अतः कोई भिन्नता नहीं है।
					आवश्यकता आधारित समावेशी योजना	जिला योजना के लिए बुनियादी इनपुट हेतु स्थिति के अनुसार विश्लेषण किया गया (यानि डीएचडीआरज़)	यह निर्णय लिया गया कि प्रबंधन में बदलाव के भाग के रूप में द्रुत आकलन के परिणामों को परिणामों के साथ जोड़ा जाए।	
					6 यूएनडीएएफ राज्यों में राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता का आकलन।	योजना के सभी पहलुओं में स्थानीय कार्यकर्ताओं जिनमें सभी स्तरों पर पीआरआईज के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं की जिला क्षमता, मॉनीटरण और मूल्यांकन की व्यवस्था की गई	6 राज्यों में राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता का आकलन शुरू किया गया।	
					अभिसरण जिला योजना के लिए प्रबंधन, प्रक्रिया में परिवर्तन		प्रबंधन परिवर्तन के लिए एजेंसी बुलाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	
					जिला आयोजना में अधिक समावेशन और एकीकरण के लिए जिले में सहायता दलों की व्यवस्था	एकीकृत जिला योजनाएं तैयार की गई हैं।	जिला योजनाओं को सुदृढ़ करने और अधिक समावेशन के लिए सहायता दलों की व्यवस्था की गई।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/ परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	जिला योजना प्रक्रिया के क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी सहायता सरकार तथा अन्य स्रोतों से संसाधनों का अधिकतम जुटाव व उपयोग करने वाला मिला स्थानीय स्तर पर उन्नत सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवा डिलीवरी प्रबंधन एवं आयोजना प्रयोजन हेतु मानीटरिंग				डीपीसी(ज) की क्षमता में अंतर के आकलन के लिए दलों की सहायता ताकि स्थानीय योजना के लिए डिजिटल उपस्करों का उपयोग किया जा सकें। यूएनडीपी राज्यों में 30 जिलों में सरकारी स्कीमों के कार्यान्वयन में और अभिसरण के लिए दलों को सहयोग देना। 6 यूएनडीपी जिलों में पहेली को पायलैट आधार पर शुरू करना। प्रसारण में समाधान विनिमय समुदाय, जिला योजना और अभिसरण में उप समुदाय।	जिला बजटीय प्रवाह का आकलन डीपीसीज़ स्थानीय अवसंरचना (जीआईसी और प्लान पलस) और डिजिटल सदुपयोग की क्षमता रखते हैं। स्कीमों का जिला स्तरीय कार्यान्वयन और अधिक सुदृढ़ हुआ और अभिसरण की अवधारणाओं को सहयोग मिला। जिला योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया। प्रभावी अभिसरण और योजना कार्यान्वयन के एकीकरण हेतु मॉनीटरण चक्र के संबंध में राष्ट्रीय राज्य और जिला सरकारों को अनुवर्ती प्रतिक्रिया देना।	पिछले 3-4 वर्षों से प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेतु 10 जिलों में अंतर विश्लेषण किया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्राधिकारियों से इस संबंध में विनिमय किया गया। बिहार और उड़ीसा के जिलों में डीपीसी सदस्यों और अन्य कुछ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे प्लान पलस का सदुपयोग कर सके। योजना विभाग को सहयोग देने हेतु स्टेट कैपिटल पर एसपीओज़ और अभिसारण हेतु जिला स्तर पर यूएनवीज़ की विधिवत व्यवस्था की गई। पहली उपस्कर में निर्देशों की सूची में संशोधन के लिए बनाए गए। वैज्ञानिक प्रणाली पर प्रतिदर्श समूह मार्ग दर्शन देंगे। सर्वोत्तम प्रणालियों को सीखने और शेयर करने हेतु स्थापित प्रणालियों का ई-नेटवर्क समुदाय स्थापित किया गया।	

4.1.5 योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	**आयोजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली** (पीए एंड पीएमएफएस) केन्द्रीय प्लान स्कीमों के लिए एमआईएस/ डीएसएस	**17.07**	**10.18**	**5.95**	1. कार्य के स्राव में डीडीओ को शामिल करते हुए आईडी संस्वीकृति की प्रक्रिया में सुधार। 2. भारत सरकार की प्लान स्कीमों के तहत अनुदान सहायता प्राप्त करने वाली सभी एजेसिंयों का पंजीकरण। 3. सिविल मंत्रालयों के अधीन सभी प्लान स्कीमों के लिए डैडीकेटिड पोर्टल का विकास। 4. पीए एंड पीएफएमएस के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। 5. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का संस्थापन एवं उसकी बढ़ोतरी।	1. प्लान स्कीमों के अंतर्गत जारी मंजूरियों का प्रभावी मानीटरण। 2. भारत सरकार से अनुदान पाने वाली सभी एजेंसियों के ब्यौरे लिए जाने हैं। 3. प्लान स्कीम के तहत जारी राशि को लेने के लिए वैब आधारित कॉमन पोर्टल प्लेट फार्म 4. परियोजना के क्षेत्र को अंतिम रूप देने और जरूरतों के बारे में डीपीआर सहायता करेगा। 5. वित्तीय आंकड़ों के तीव्र और सुरक्षित अंतरण के लिए पीएओ के साथ	1. आईडी जनरशन मोड्यूल का परिष्कृत सैक्शन वर्सन जारी कर दिया गया था और इसे सभी सिविल मंत्रालयों में सफलतापूर्वक जारी किया गया। 2. प्रणाली में लगभग 14100 कार्यान्वयन एजेंसियों को पंजीकृत किया गया। सीपीएसएमएस पोर्टल पर मंत्रालय बिना पंजीकरण किए कोई राशि जारी नहीं कर रहे हैं। 3. प्लान स्कीमों के लिए डैडीकेटिड पोर्टल विकसित किया गया है और इसे भारत के महालेखा परीक्षक के कार्यालय की वैबसाइट पर 1-4-2009 से डाल दिया गया है। 4. टीओआर को अंतिम रूप देने के लिए सीपीएसएमएस के डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और एनआईसी के माध्सयम से परामर्शदाता नियुक्त किए जा रहे हैं। 5. निकनैट संपर्कता से संबंधित कार्य लगभग पूरा करर लिया गया है।	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
					6. चुनिंदा प्लान स्कीमों के लिए बैंकिंग के माध्यम से एम.आई.एस. 7. निधि के स्राव के ट्रैकिंग और व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सॉफ्टवेयर की सतत जांच (कार्यान्वयन के सबसे निचले स्तर तक) और पहचान की गई स्कीमों तथा राज्यों के लिए पायलट क्षेत्र में विस्तार। 8. कार्यक्रम प्रबंधकों/ मंत्रालयों/ कार्यान्वयन एजेंसियों/ राज्य सरकार कर्मचारियों का प्रशिक्षण ताकि पद्धति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।	संपर्क। 6. पायलैट के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए मंत्रालय और मंत्रालयों तथा कार्यान्वयन एककों से सक्रिय सहयोग लेना जरूरी होगा। 7. इससे एमआईएस प्रणाली में गुणवत्ता पूर्ण डेटा सुलभ होंगे और प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। 8. क्षमता विकास।	6. 8 बैंकों के अध्यक्षों से सीपीएसएमएस - सीबीएस इंटरफेश शुरू करने के लिए कहा गया है जो कि विकास के अंतिम चरण में हैं। साथ में बिजटॉक डेवलेपर्स को लगाया गया है और संपर्कता शीघ्र ही पूर कर लिए जाने की संभावना है। 7. (I) गत वर्ष के पायलट्स सके आधार पर सॉफटवेयर में सुधार किया गया है। (II) आनएनजीएएफ पर कार्यशाला आयोजित की गई है जो 4 राज्यों में 5 स्कीमों के लिए सभी भागीदारों के लिए थी। (III) मध्य प्रदेश में एसएसए ने व्यय शुरू कर दिया है और राज्य सरकार से जिला स्तर पर निधि का अंतरण भी शुरू कर दिया गया है। 8. 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 42 दिन लगे हैं का आयोजन केन्द्रीय स्तर पर किया गया। इसके अलावा परियोजना प्रकोष्ठ से कर्मचारी विभिन्न मंत्रालयों में भेजे गए थे ताकि वे सीपीएसएमएस प्रयोक्ताओं में विभिन्न सीपीएसएमएस माड्यूल के बारे में जानकारी दे सके। 6 दिनों के लिए 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम कोलकाता, चेन्नै और मुम्बई में आयोजित किए गए। सीपीएसएमएस की परियोजना प्रकोष्ठ एक सहायक डेस्क के रूप में सीपीएसएमएस प्रयोक्ताओं के ट्रबल सूटिंग का कार्य कर रहे हैं।	

4.1.6 पीपीपी द्वारा दक्षता विकास हेतु नए प्रयास

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	पीपीपी द्वारा दक्षता विकास हेतु नए प्रयास । उद्देश्यः इसका उद्देश्य है कि दक्षता प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए और केंद्र/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल संबंधी प्रयास बढ़ा कर विस्तार के लिए तंत्र को और युक्तिसंगत बनाया जाए।	**15.00**	**0.47**	**0.03**	दक्ष मानव शक्ति के सृजन के लिए नीतियों/ रणनीतियों का विकास।	2022 तक 500 मिलियन दक्ष मानव शक्ति।	राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड योजना आयोग, राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम और वित्त मंत्रालय आदि से त्रि-स्तरीय संस्थागत अवसंरचना की व्यवस्था की गई है। इस अवधि के दौरान एनएसडीसीबी की दो बैठकें आयोजित की गई और बोर्ड के दिशा - निर्देशों के अनुरूप दक्षता विकास के विभिन्न आयामों में 5 उप समितियों का गठन किया गया। एनएसडीसीबी द्वारा स्थापित पांच उप समितियों में से दो ने अपनी रिपोर्टें निम्नलिखित पर प्रस्तुत कर दी हैं- (i) प्रशिक्षु प्रशिक्षण एवं (ii) एक्रेडीटेशन एवं सर्टिफिकेशन प्रणाली। योजना आयोग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है।	

4.1.7 सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण योजना आयोग एवं भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति द्वारा यथानिर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार मूल्यांकन अध्ययन शुरू करना।	12.00	2.50	1.68	* विकास सलाहकार समिति (डीईएसी)* के दिशा - निर्देशों के अनुसार 2009-10 के दौरान 12 अध्ययनों को प्राथमिकता दी गई है। **9 अध्ययन मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं।		#	संलग्नक-II के अनुसार

* (1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2) सर्व शिक्षा अभियान (3) लघु सिंचाई (4) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (5) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (6)राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्रवाई योजना (7) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (8) तिलहन, दाल, पाम ऑयल और मक्का के लिए एकीकृत स्कीम (9) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (10) कृषि का बृह्द प्रबंधन (11) राष्ट्रीय राजमार्ग (12) पूर्वोत्तर एवं सिक्किम को केन्द्रीय पूल से सहायता।

** (1) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2) सर्व शिक्षा अभियान (3) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (4) ग्रामीण सड़कें (5) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (6) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (7) ग्रामीण टेलीफोन (8) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) (9) राष्ट्रीय समविकास योजना ।

 # उपलब्धियाँ

i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर फील्ड सर्वेक्षण का मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

ii) सर्वशिक्षा अभियान पर रिपोर्ट का प्रारूप मूल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत कर दिया गया है।

iii) एकीकृत बाल विकास सेवाओं के फील्ड वर्क का मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

iv) ग्रामीण सड़कों पर मूल्यांकन अध्ययन की प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

v) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के क्षेत्रीय कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

vi) सीएमडीएम पर मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है।

vii) राष्ट्रीय सम विकास योजना पर मूल्यांकन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

viii) समग्र साफ सफाई अभियान पर क्षेत्रीय कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

ix) तिलहन, दाल, पाम आयल और मक्का पर एकीकृत स्कीम संबंधी मूल्यांकन अध्ययन आउटसोर्स कर दिया गया है।

4.1.8 जनसंसाधन अनुसन्धान संस्थान (आईएएमआर) को अनुदान सहायता (आईएएमआर)

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	आईएएमआर को अवसंरचना सुविधाओं हेतु अनुदान सहायता अनुदान	4.34	4.34	4.34	मौजूदा अवसंरचना को क्रमोन्नत करना, ताकि आईएएमआर अपनी अवसंरचना को आधुनिक बना कर गतिविधियों में बढ़ोतरी कर सके।	इसकी अवसंरचना को आधुनिक बनाने में इनपुट्स के इम्पोर्ट के साथ सरकार के नीति निर्माताओं द्वारा इसमें वृद्धि की संभावना है।	आईएएमआर की अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित कार्यों की पहल पहले से ही सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कर दी गई है। कार्य की प्रगति अंतिम चरण में हैं।	कोई कमियां नहीं रही हैं। -

4.1.9 योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के जरिए योजना आयोग के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना।	2.25	1.45	1.71	कतिपय विशिष्ट कार्यों/ विचारणीय विषयों के लिए किसी समय एक सीमित अवधि के लिए अधिक से अधिक 60 परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों की सेवाएं पारिश्रमिक पर लेना।	परिणाम आवश्यकता-आधारित होते हैं।	(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुसार 6-11-2009 तक परामर्श सेवाओं के बारे में आंतरिक दिशा निर्देश जारी होने तक परामर्शदाता विशिष्ट सेवाओं के लिए नियुक्त किए गए थे। अब परामर्शदाताओं की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा सामान्य वित्तीय नियामवली 2005 के आधार पर तैयार किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।। (ii) इन्टरनशिप स्कीम के अनुसार योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में पीजी/ शोधकर्ताओं को इंटरनशिप दी गई थी। (iii) एन.आई.सी.एस.आई. के माध्यम से व्यावसायिकों के अध्ययन किराये पर लिए गए थे।	कोई कमियां नहीं हैं।

4.1.10 आजीविका संवर्धन परियोजना हेतु यूएनडीपी से सहायता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	आजीविका संवर्धन परियोजना हेतु यूएनडीपी से सहायता ।	**1.80**	**1.80**	**0.41**	एडब्ल्यूपी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।	एडब्ल्यूपी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।	एडब्ल्यूपी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।	एडब्ल्यूपी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए (जून, 2010 में एडब्ल्यूपी हस्ताक्षर के तहत दर्शित व्यय को समायोजित किया गया।

4.1.11 विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसन्धान और संस्थागत विकास के लिए सहायता अनुदान

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसन्धान और संस्थागत विकास के लिए सहायता अनुदान । (योजना पद्धति में अध्ययन एवं अन्वेषण) समाजार्थिक स्कीम: आर्थिक/सामाजिक विकास एवं आवश्यकता आकलन के मुद्दों पर शोध को प्रोत्साहित करना जिसका विकास एवं नियोजन की प्रक्रिया में सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं स्कीमों के योजना प्रतिपादन या कार्यान्वयन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।	**2.10**	**2.10**	**1.66**	प्रत्येक वर्ष अनुदान सहायतार्थ औसत रूप से 20 अनुसंधान अध्ययनों और 30 सेमीनारों/ कार्यशालाओं को मूंजूरी प्रदान की जाती है। संशोधित एसईआर दिशा - निर्देश (अक्तूबर, 2009) के तहत योजना आयोग की वैबसाइट पर ध्यान केंद्रण वाले क्षेत्रों/ विषयों को रखा जाएगा ताकि योजना आयोग से संबंधित अध्ययनों हेतु प्रस्ताव लिए जा सकें।	संबंधित विषय प्रभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को अध्ययन की अंतिम रिपोर्टें सेमीनारों हेतु आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी ताकि वे केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के आवश्यक उपयोग के लिए भेज सकें और विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए उन्हें वार्षिक योजनाओं को बेहतरीन बनाने के लिए उन पर चर्चा कर सकें।	16 अनुसन्धान अध्ययन और 20 गोष्ठियां/ कार्यशालाएं सहायता अनुदान दिए जाने के लिए अनुमोदित की गई हैं और किए जा रहे 19 अध्ययनों की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।	एससीआर दिशा निर्देशों की समीक्षा की जा रही थी अब इनको अंतिम रूप दे दिया गया है तथा अक्तूबर, 2009 में कार्यान्वयन की सिफारिश कर दी गई है। परिणामस्वरूप अनुसंधान अध्ययनों/ संगोष्ठियों के प्रस्ताव प्रक्रिया में ले लिए गए हैं और उसका अनुपालन किया जा रहा है। जीओए (ज) की 28वीं बैठक 24-5-2010 को अनुदान सहायता पर विचार करने के लिए आयोजित की गई।

4.1.12 प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् विभिन्न मुद्दों पर प्रधान मंत्री को सलाह देना, प्रधान मंत्री को टिप्पणियां/ रिपोर्टस आदि भेजना।	1.78	1.38	1.00	प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जिन मुद्दों पर सलाह मांगी जाए, उनके बारे में सलाह और सिफारिशें करना।	प्रश्नों के विश्लेषण और उत्तर समयबद्ध होते हैं और निरन्तर आधार पर किए जाते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद् आवश्यकता के अनुसार समसामयिक आर्थिक मुद्दों के बारे में अपने आप भी रिपोर्टें भेजती हैं।	आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा दी गई नीतिगत सलाह बहुत से मुद्दों पर प्रधान मंत्री कार्यालय के नीतिगत हस्तक्षेपों का हिस्सा बनी है। इसका स्वरूप ऐसा है कि इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।	कोई कमी नहीं है।

4.1.13 ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास)

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास)	2.00	0.01	शून्य	राष्ट्रीय ऊर्जा निधि जैसे - अभिशासन बोर्ड, राष्ट्रीय सलाहकार समिति और राष्ट्रीय ऊजा निधि (एनईएफ) के लिए सचिवालय की स्थापना। ऊर्जा क्षेत्रक में अनुसंधान आवश्यकताओं की पहचान और उनकी प्राथमिकता।	पहचान किए प्राथमिकता क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं प्रोत्साहन	--	--

4.1.14 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्ञान के सृजन, ज्ञान के अनुप्रयोग और ज्ञान के प्रसार की संस्थाओं से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में प्रधान मंत्री को सलाह देना।	0.05	--	--	ज्ञान तक पहुंच, ज्ञान की अवधारणाओं, ज्ञान के सृजन, ज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में प्रधान मंत्री को सिफारिशें।	--	एनकेसी का कार्यकाल 30-9-2009 को समाप्त हो गया।	लागू नहीं

4.1.15 राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु यू.एन.डी.पी. से सहायता

क्र. सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	**राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु यू.एन.डी.पी. से सहायता ।** उद्देश्य*	11.83	11.83	11.20	अनुलग्नक-I के अनुसार	योजना आयोग मानव विकास की राज्य योजना को सुदृढ़ बनाने की परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है और राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियां हैं; यह परियोजना पन्द्रह राज्यों, नामशः हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, नागालैंड, पंजाब, उड़ीसा, केरल और छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित की जा रही है। यू.एन.डी.पी. ने 10.96 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता मुहैया की है। यह परियोजना दिसम्बर, 2007 में पूरी होनी थी	• सभी पन्द्रह राज्यों ने मानव विकास और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए हैं और परियोजना के क्रियाकलापों को मानीटर करने के लिए शक्तिप्राप्त/संचालन समितियां गठित की हैं। • सभी पन्द्रह परियोजना राज्यों ने जिला मानव विकास रिपोर्टें तैयार करनी शुरू की हैं। दो जिला मानव विकास रिपोर्टें प्रकाशित हो गई हैं और प्रस्तावित 65 मानव विकास रिपोर्टों में से 13 प्रकाशित हो गई और 4 मुद्रण के लिए तैयार हैं और शेष मानव विकासस रिपोर्टें तैयार होने के विभिन्न चरणों में हैं। • जिला योजना पर मानव विकास पर ट्रेनिंग मोडयूल और प्रशिक्षण के 10 दौर आरबीआईसीएबी में चलाए गए जिसका राज्यों से 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। • इस परियोजना के समर्थन की कार्यनीति के भाग के रूप में राज्य-सापेक्ष मानव विकास विषयों के बारे में तीस फिल्में तैयार की गई। संबंधित राज्यों द्वारा 22 फिल्मों का अनुमोदन	प्रक्षेपित परिणाम हासिल करना मौटेतौर पर राज्य सरकारों के उचित कार्यक्रम तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की योग्यता पर निर्भर करता है।

क्र. सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
						और इसकी अवधि दिसम्बर, 2009 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि बहुत से राज्यों ने इसके तहत शुरू किए गए क्रियाकलापों को अभी पूरा करना था। प्रक्षेपित परिणामों को प्राप्त करना राज्य सरकारों की उपयुक्त कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।	कर दिया गया है, शेष प्रक्रियाधीन हैं। • राज्य/जिला स्तर पर सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर पर सांख्यिकी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएमओ द्वारा शुरू किए जिला आय अनुमान एवं मानव विकास पर प्रशिक्षण के 5 दौर पूरे किए जा चुके हैं, जिसके लिए राज्य अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय 125 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया था। • मानव विकास के वित्तपोषण के बारे में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य-सापेक्ष रिपोर्टें प्रकाशित की गईं। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान की रिपोर्टें पूरे होने के अंतिम चरण में हैं। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की रिपोर्टें प्रगति पर हैं।	

* **उद्देश्यः** (1) तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के जरिए राज्यों के योजना विभागों/ मानव विकास बोर्डों की क्षमता का निर्माण; (2) मानव विकास वित्तपोषण के लिए कार्यनीति के विकल्पों का पता लगाना, (3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव विकास के सन्देश व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएं और समझे जाएं, पक्षपोषण प्रयासों को मजबूत बनाना, (5) मानव विकास कार्यक्रमों और स्कीमों को मानीटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर पदाधिकारियों के लिए क्षमता को आंकने और क्षमता का विकास करने का काम हाथ में लेना और योजना-निर्माताओं और नीति-निर्माताओं में इस प्रकार कार्यक्रम तैयार, कार्यान्वित और मानीटर करने की क्षमता का विकास करना, जिनसे संसाधनों और लाभों तक महिलाओं और पुरुषों की पहुंच समान रूप से हो।

4.1.16 राष्ट्रीय, राज्य एव जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	राष्ट्रीय, राज्य एव जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता । उद्देश्यः योजना प्रक्रिया में लगे व्यासवसायिकों की योजना और शक्ति को बढ़ाने ओर योजना में लगी एजेंसियों के तकनीकी आधार में सहयोग को बढ़ावा और संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना।	200.00	0.60	0.00	यह योजना एकीकृत जिला योजना तैयार करने में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को आयोजना, मानिटरण और सहयोग में क्षेत्रविषज्ञता, ज्ञान-इनपुट्स संबंधी सहायता पहुंचाएगी।	तकनीकी जांच के माध्यम से सहभागी योजना प्रक्रिया में सहायता।	2009-10 के दौरान स्कीम का अनुमोदन नहीं हो सका था, अतः कोई उपलब्धि नहीं हो सकी।	2009-10 के दौरान स्कीम का अनुमोदन नहीं हो सका था।

4.1.17 योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता - अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच

क्र0 सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम और उद्देश्य	योजना परिव्यय 2009-10 (रुपए करोड़ में)			क्वांटिफाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	**अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच** 1. परिवहन क्षेत्रक के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच एक रणनीतिक चिंतर का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष यह 50 देशों से भी अधिक मंत्रियों को एक साथ आमंत्रित करता है जिस में अग्रणी निर्णयकर्ता भी शामिल होते हैं। इस में निजी क्षेत्रक, सिविल सोसाइटी, अनुसंधान के व्यक्ति भी शामिल होते हैं ताकि रणनीतिक परिवहन मुद्दों का समाधान किया जा सके। 2. मंच का लक्ष्य परिवहन नीति तैयार करने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता पहुंचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इससे आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, सामजिक समावेशन और मानवीय जीवन के संरक्षण और उनके अस्तित्व में योगदान को सुनिश्चित करता है।	**0.30**	**0.65**	**0.25**	--	न्यू मंच का लक्ष्य है कि नीति निर्माताओं और सामान्य जनता को परिहवन की भूमिका के बारे में अधिक गहराई से समझने में सहायता पहुंचाई जाए। अगला लक्ष्य है कि परिवहन और लॉजिस्टिक को और अधिक एकीकृत करके सामान्य नीति तैयार की जाए और साथ ही धारणीय आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं का विकास किया जाए। यह मंच परिवहन रणनीति और परिहवन मुद्दों पर जो वैश्विक महत्व के हैं, पर विचार-विमर्श को रेखांकित करने के लए उत्कृष्ट मंच रहेगा।	--	--

4.2 2010 के दौरान पिछली योजनागत स्कीमों के निष्पादन की समीक्षा (31 दिसम्बर, 2010 तक)

4.2.1 भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
1.	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	1900.00	960.66	58.38	1. स्कीम का फेज-1 पूरा करना। 2. स्कीम के फेज-2 के शुरू होने और अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 के बीच यूआईडी के पहले सैट (आधार) के जारी होने।	संलग्नक II	स्कीम के फेज-1 के लिए 147.31 करोड़ रूपए की राशि की मंजूरी दी गई थी। स्कीम के फेज-। का मुख्य उद्देश्य पूरा कर लिया गया है। मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कर ली गई है। यद्यपि मात्र 50% पद ही भरे गए हैं अतः स्थापना की लागत जनसंसाधनों के पूरा न होने के कारण हो गई। एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई तथा पीओसी और पायलैट अध्ययन का कार्य पूरा किया गया। 2(क) यूआईडीएआई पर मंत्रि मंडल समिति ने स्कीम के फेज-2 को अनुमोदित किया और एक वर्ष की अवधि के भीतर बहु पंजीयकों के माध्यम से 10 करोड़ निवासियों को यूआईडी संख्या जारी करने का अनुमोदन दिया। 10 करोड़ यूआईडी संख्या जारी करने के लिए 3023.01 करोड़ की लागत अनुमान, अन्य परियोजना घटकों, पुनरावर्ती स्थापना लागत जो पूर पांच वर्षों के लिए जिसकी अवधि मार्च, 2014 को समाप्त होगी, अनुमोदन किया गया। (ख) परिणाम स्वरूप, 29 सितम्बर, 2010 को महाराष्ट्र के नांदूरबर जिले के थम्बोली गांव में औपचारिक रूप से यूआईडी स्कीम को औपचारिक यप से शुरू किया गया।	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
					3. केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और अन्य के सा भागीदारी।	संलग्नक-II	(ग) राष्ट्रीय शुरूआत के बाद पंजीकरण कार्य शुरू किया गया और नवम्बर, 2010 से 12 पंजयकों द्वारा पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से पंजीकरण का कार्य नौ राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया गया। (3) सभी 35 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों ने यूआईडीएआई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना कार्यान्वयन की प्रमुख शर्तों पर मोओयू का सैट, राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों और यूआईडीएआई की जिम्मेदारियों का उल्लेख उसमें किया गया है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, 23 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।	
					4. अपेक्षित प्रौद्योगिकी अवसंरचना का सृजन।	संलग्नक-II	(4) यूआईडी स्कीम के फेज-II में अनुमोदित 10 करोड़ पंजीकरणों के लिए यूआईडीएआई ने सूचना प्रौद्योगिकी अवंसरचना के सृजन की प्रक्रिया की पहल शुरू कर दी है। बेंगलुरू में डेटा सैंटर स्पेश हायर किया गया है और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकास और अनुरक्षण सहायता एजेंसी और जीवांकीकी सेवा प्रदाताओं का चयन कर लिया गया है। यूआईडी सकीम के फेज-II 10 करोड़ यूआईडी संख्या जारी करने हेतु सुविधाओं कास जन किया जा रहा है, जिन्हें प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएससी) को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो बाद में स्थायी सीआईडीआर सैट-अप में ट्रांजेक्शन की व्यवस्था करेगा।	

क्र. सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम और उद्देश्य/ परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए में)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
					5. पर्याप्त सहायता अवसंरचना का सृजन	संलग्नक-II	5. आवश्यक सहायता अवंसरचना का सृजन कर लिया गया है। यूआईडीएआई ने भारतीय डाक के साथ करार किया है जो निवासियों को आधार संख्या की डिलीवरी एवं प्रिंटिंग लाजिस्टिक स्पोर्ट प्रदान करेगा। निवासियों की सहायता रेखा के लिए संपर्क केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि यूआईडी संबंधित मुद्दों पर जिन में गवर्नेंस समाधान भी शामिल है, पर चर्चा की जा सके।	
					6. जागृति और संचार का विकस		6. यूआईडीएआई ने बाह्य और मल्टीमीडिया प्रचार के लिए जागृति एवं संचार रणनीति बनाई है। एक व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी भी लगाई है, ताकि विज्ञापन, प्रचार और संचार के संबंध में सृजनात्मक भाग को विकसित किया जा सके। लोगों और ब्रांड नेम आधार को हिंदी से 18 भारतीय भाषाओं में अनुदित कर लिया गया है। सूचना, शिक्षा और संचार की गतिविधियों को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन किया जाएगा और पंजीकरण में शीघ्र ही गति आने की संभावना है।	
					7. यूआईडीएआइ मुख्यालय और सीआईडीआर हेतु स्थायी भवन के लिए भूमि का अधिग्रहण।		7. दिल्ली में मुख्यालय और सीआईडीआर की स्थापना हेतु भूमि के आबंटन के लिए यूआईडीएआई शहरी विकास मंत्रालय पर दबाव बनाए हुए है। जमीन की पहचान और उसके आबंटन का मामला शहरी विकास मंत्रालय के पास बकाया है।	

4.2.2. कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण

4.2.2 (i) नवीकरण एवं परिवर्तन

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण नवीकरण एवं परिवर्तन	6.50	5.6	2.43	समिति कक्षों सहित योजना आयोग के कार्यालय परिसर का नवीकरण और परिवर्तन और कार्यालय उपस्करों की प्राप्ति, हैवी ड्यूटी/ लाइट ड्यूटी आधुनिक उपस्करों की खरीद।	कार्य करने का बेहतरीन वातावरण तैयार करना।	विभिन्न तलों पर कार्यालय कक्षों/ प्रभागों में नवीकरण और परिवर्तन तथा विभिन्न तलों पर शौचालयों का नवीकरण, कारिडोर्स का विद्युतीकरण, फर्नीचर का प्रापण एवं अनुरक्षण और कार्यात्मक जरूरतों के अनुसार कार्य करने का बेहतरीन वातावरण प्रदान करने के लिए अन्य कार्य किए गए। एयरकंडीशनर, फोटो कापी मशीन, टीवी, फ्रीज, हॉटकेश, माइक्रोवेव ओवन, पेपर शेरेडर मशीन, फोटो कापियर्स, उपभोक्ता सामग्री डेटा कार्ड आदि।	कोई कमी नहीं रही।
4.2.2 (ii) सूचना प्रौद्योगिकी								
2.	कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण सूचना प्रौद्योगिकी	8.61	5.00	1.08	हार्डवेयर जैसे - कंप्यूटर्स, लैपटोप्स, सर्वर्स, प्रिंटर्स, नेटवर्क प्राप्ति के लिए नेटवर्किंग स्विचों की उपलब्धता, डेटा बैक अप, वाई-फाई, सिस्को आधारित कंट्रोलर, फायरफ्रूफ नेटवर्क डेटा सैंटर जो प्रणाली में आपदा प्रबंधन के रूप में कार्य करेगा आदि की व्यवस्था।	उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ बेहतरीन नेटवर्किंग और तीव्र संचार प्रणाली	मौजूदा वित्त वर्ष में आबंटित 8.61 करोड़ रूपए में से 2.00 करोड़ रूपए एनआईसी के लिए जारी किए गए ताकि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में वीओआईपी की मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। इस बजट को कंप्यूटरों/लैपटोप्स/ एलजे, एमएफपी, क्लर एलजे प्रिंटर्स/ सापॅटवेयर एसोरेंश/ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर और अन्य सॉफ्टवेयरों के प्रापण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। आईटी संबंधित कुछ सामग्री जैसे कंप्यूटर उपभोज्य सामग्री आदि भी इस बजट से खरीदी जा रही है।	कोई कमी नहीं रही।
	कुल	15.11	10.60	3.51				

4.2.3 आयोजना के 50वें वर्ष की पहल

	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 10 तक)				
1.	योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल (i) राज्य विकास रिपोर्टें (एस.डी.आर.) तैयार करना (ii) योजना आयोग की परियोजना तैयारी बी फेसिलिटी (पी.सी.पी.पी.एफ.) से सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता।	14.00	13.50	3.17	• पांच एस.डी.आर. को अन्तिम रूप देना। • मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप देना तथा नियत जांच के पश्चात पीसीपीपीएफ के तहत के तहत अन्य राज्य सरकारों के लिए प्रस्तावों को प्रसंसाधित करना। • माल यातायात और यात्री यातायात दोनों के बारे में अन्तर्क्षेत्रीय और अन्तरा-क्षेत्रीय मूल-गन्तव्य, मोड-वार यातायात प्रवाह का सृजन और विश्लेषण।	पांच एस.डी.आर. को अन्तिम रूप देना/ रिलीज़ करना। मध्य प्रदेश की टसर विकास परियोजना हिमाचल प्रदेश में जल संसाधनों के इष्टतम और संयुक्त उपयोग के बारे में डी.पी.आर. को अंतिम रूप दिया गया।	i) मेघालय और दिल्ली के एसडीआर जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश के एसडीआर को अंतिम रूप दिया जाने वाला है तथा उत्तराखंड, गोवा पुडुचेरी, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अंतिम रूप दे दिया गया है और उनका मुद्रण किया जा रहा है। ii) लोकतक	
2.	(i) परिवहन के चार प्रमुख यंत्रीकृत मोडों- राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग और तटवर्ती नौवहन - को कवर करते हुए, अन्तर-मोडल परिवहन संसाधन लागतों और यातायात प्रवाहों का सृजन और विश्लेषण करना।				• परिवहन के मोड के लिए, मौजूदा और भावी परिवहन प्रौद्योगिकीय उन्नति को शामिल करते हुए, संसाधन लागत और वित्तीय लागत दोनों के रूप में मॉडल परिवहन लागत का निर्धारण और विश्लेषण। • परिवहन के उपर्युक्त मोडों में से प्रत्येक मोड के लिए संसाधन लागत और वित्तीय लागत दोनों के रूप में माडल परिवहन लागत का निर्धारण			

	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 10 तक)				
	(ii) योजना-निर्माताओं को भविष्य के परिवहन दृश्य का डिजाइन करने के लिए इष्टतम अन्तर-मोडल मिश्रण निर्धारित करना और परिवहन निवेश का नियतन करना।				और विश्लेषण, जिसमें परिवहन की मौजूदा और भावी प्रौद्योगिकीय उन्नति को ध्यान में रखा जाए। • पिछले 30 वर्षों में परिवहन के प्रत्येक मोड के लिए माल और यात्री यातायात में हुई वृद्धि के तुलनात्मक विश्लेषण का संकलन। • परिवहन की कुल मांग और परिवहन के प्रत्येक मोड के हिस्से का आकलन, जैसी कि आज की स्थिति है और जैसीकि उसके 2012-13, 2017-18 और 2025-26 के क्षितिज वर्षों में होने की संभावना है। • लागत के विचार के आधार पर वांछनीय मोडल हिस्से का निर्धारण। • वांछनीय इंटर-मोडल मिश्रण प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों के सुझाव। **माडल रियायत करार** अवसंरचना क्षेत्रक के बारे में एम.सी.ए. को छापना, जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में, पत्तनों के बारे में, राज्यों के राजमार्गों और ओ.एम.टी. के बारे में एम.सी.ए.	सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली अध्ययन के बारे में रिपोर्ट।	झील के संरक्षण और प्रबंधन पर डीपीआर तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता जारी की गई और इसमें संबंधित जल भूमि एकीकरण मणिपुर के नदी के बेसिन को मणिपुर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। मध्य प्रदेश की टसर विकास परियोजना में जल संसाधनों के इष्टतम और संयुक्त उपयोग के	

	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 10 तक)				
	(iii) अवसंरचना प्रभाग के प्रस्तावों के खर्च को पूरा करना - प्रकाशनों की छपाई- एम.सी.ए.नीतिगत पहलें, सुधार विकसित करने के लिए गोष्ठियां/कार्यशालाएं और मुद्दों, आदि पर विशेषज्ञों के साथ परामर्श।				• राज्य राजमार्गों पर एमसीए • ओएमटी पर एमसीए • शहरी रेल पारगमन प्रणाली पर एमसीए • गैर मैट्रो हवाई पत्तनों पर एमसीए • रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास हेतु एमसीए • बंदरगाहों टर्मिनलों पर एमसीए • मॉडल पारेषण करार **बोली दस्तावेज** • पीपीपी परियोजनाओं हेतु योग्यता के लिए मॉडल अनुरोध (आरएफक्यू) • पीपीपपी परियोजनाओं हेतु पस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध • तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए मॉडल अनुरोध • विधिक सलाहकार के नियुक्ति हेतु मॉडल अनुरोध • पारेषण परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु प्रस्तावों के लिए मॉडल अनुरोध	ऐसी नीतियां शुरू करना, जो विश्व श्रेणी की अवसंरचना, तुलनीय अन्तरराष्ट्रीय स्तरों की डिलिवरिंग सेवाओं का समयबद्ध सृजन सुनिश्चित करेंगी, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारिता की भूमिका अधिकतम हो जाएगी।	बारे में डी.पी.आर. टसर विकास परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए कुछ संशोधन सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा स्वीकृत अंतिम डीपीआर उन्हें प्रेषित की जाए। परिवहन प्रणाली पर राइट्स अध्ययन पूरा कर लिया गया	

	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 10 तक)				
					रिपोर्टः # परामर्शदाताः $ सम्मेलनः @		है।	

* अवसंरचना (वीजीएफ स्कीम तैयार करने, मूल्यांकन में पीपीपी को वित्तय सहायता देने तथा पीपीपी परियोजनाओं का अनुमोदन (पीपीपीएसी) और अवसंरचना परियोजनाओं को भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड के माध्यम वित्तपोषित करना।

सड़क, प्रमुख बंदरगाहों से रेल संपर्कता, की रिपोर्टों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, दिल्ली मुम्बई और दिल्ली हावड़ा फ्रेट कॉरीडोर पर कार्यदल की रिपोर्ट पर वित्त पोषण हेतु प्रमुख समूह की रिपोर्ट, आईआईएफसी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु स्कीम, दिशा निर्देश तैयार करने, मूल्यांकन तथा पीपीपी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु मुद्रण के संबंध में सहायता करना। पीपीपी अवसंरचना के वित्तीय सहायता हेतु दिशा निर्देश आदि के मुद्रण हेतु सहायता। अंतरमंत्रालयी समूह सीमा शुल्क प्रक्रिया और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और बंदरगाहों के वित्त पोषण संबंधी रिपोर्ट तथा हवाई अड्डों के वित्त पोषण योजना के लिए कार्यदल की रिपोर्ट।

$ एक विधिक परामर्शदाता और एक परामर्शदाता की नियुक्ति (पीपीपी) जांच के लिए दो विधिक फर्मों को लगाया गया है जो रियालटी दस्तावेजों की वेटिंग भी करेंगे। अभी तक 40 दस्तावेजों की संविक्षा की जा चुकी है।

@ 23 मार्च 2010 को भवन अवसंरचना पर सम्मेलन आयोजित किया गया।

4.2.4 योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
1.	**आयोजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली** (पीए एंड पीएमएफएस) केन्द्रीय प्लान स्कीमों के लिए एमआईएस/ डीएसएस	**11.88**	**10.69**	**2.19**	1. कार्य के स्राव में डीडीओ को शामिल करते हुए आईडी संस्वीकृति की प्रक्रिया में सुधार।	1. प्लान स्कीमों के अंतर्गत जारी मंजूरियों का प्रभावी मानीटरण।	1. आईडी जनरशन मोड्यूल का परिष्कृत सैक्शन वर्सन जारी कर दिया गया था और इसे सभी सिविल मंत्रालयों में सफलतापूर्वक जारी किया गया।	
					2. भारत सरकार की प्लान स्कीमों के तहत अनुदान सहायता प्राप्त करने वाली सभी एजेसिंयों का पंजीकरण।	2. अनुदान वार, एजेंसी वार, राज्य वार निधियों के संवितरण हेतु प्रभावित एमआईएस राज्य सरकारों के साथ रिपोर्ट शेयर की गई	2. सीपीएसएमएस पोर्टल उनकी स्थिति, पता पंजीकरण ब्यौरों एवं बैंक संबंधी जानकारी के साथ 22000 एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है।	
					3. सिविल मंत्रालयों के अधीन सभी प्लान स्कीमों के लिए डैडीकेटिड पोर्टल का विकास।	3. प्लान स्कीमों की सूचना को लेने के लिए कॉमन पोर्टल प्लेट फार्म	3. एक पूर्ण रूप से नया अधिक मजबूत सुरक्षित मॉड्यूलर सिस्टम जिसके पास एसओए आर्किटेक्चर है का विकास किया गया है और उसे 1.4.2010 के क्रियान्वित किया गया है।	
					4. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का संस्थापन एवं उसकी बढ़ोतरी।	4. वित्तीय आंकड़ों के तीव्र और सुरक्षित अंतरण के लिए पीएओ के साथ संपर्क।	4(i) पीएओ से जुड़ निकनेट से संबंधित कार्य लगभग पुरा हो गया है (ii) हैदराबाद स्थित एनआईसी डेटा सेन्टर पर 15 सर्वर स्थापित कर दिए गए हैं।	
					5. पीए एंड पीएफएमएस के लिए व्यापक	5. परियोजना के क्षेत्र को अंतिम रूप देने	5. सीपीएसएमएस के डीपीआर संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिया गया और डीपीआर तैयार	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2009-10 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक				
					परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। 6. चुनिंदा प्लान स्कीमों के लिए बैंकिंग के माध्यम से एम.आई.एस. 7. कार्यक्रम प्रबंधकों/ मंत्रालयों/ कार्यान्वयन एजेंसियों/ राज्य सरकार कर्मचारियों का प्रशिक्षण। 8.पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मिजोरम - चार राज्यों से सीपीएसएमएस को निम्न स्कीमों हेतु लागू करना - एसएसए/एनएचआरएम/ पीएमजीएसवाई/ नरेगा	और जरूरतों के बारे में डीपीआर सहायता करेगा। 6. संवितरणों को हासिल करना एवं निधि का सदुपयोग। 7. इससे एमआईएस प्रणाली में गुणवत्ता पूर्ण डेटा सुलभ होंगे और प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। 8. जारी निधि का पता लगाना तथा प्रत्येक स्तर पर राज्य द्वारा जिला स्तर तक खर्च की पूर्ति करना। आरंभिक कार्रवाई जारी राशि का पता लगाने के लिए शुरू की जाएगी तथा जिला स्तर तक उसके सदुपयोग की जानकारी ली जाएगी।	करने के लिए एनआईसयी के माध्यम से परामर्शदाता लगाए गए। 6. मध्य प्रदेश में एनआरएचएम ने खर्च की भरपाई शुरू कर दी है और सरकार द्वारा जिला स्तर पर निधियों का अंतरण शुरू कर दिया है। विभिन्न स्कीमों के तहत बिहार सरकार के कर्मचारियों के पास मामला प्रगति पर चल रहा है। 7. प्रधान लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा कार्यालय से 2000 से भी अधिक कर्मचारियों के सघन प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है और उन्हें आगे कार्यक्रम प्रभागों मंत्रालयों/ विभागों के आहरण एवं संवितरण कार्यालयों वेतन एवं लेखा कार्यालयों में उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण देने के कार्य में लगा दिया गया है। 8. निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में मध्य प्रदेश पंजाब, मिजोरम और बिहार में पायलट रॉल आउट किए गए क) एनआरएचएम ख) एसएसए ग) पीएमजीएसवाई घ) नरेगा	

4.2.5 पीपीपी द्वारा दक्षता विकास हेतु नए प्रयास

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
1.	पीपीपी द्वारा दक्षता विकास हेतु नए प्रयास । उद्देश्यः इसका उद्देश्य है कि दक्षता प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए और केंद्र/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों और निजी क्षेत्र के बीच तालमेल संबंधी प्रयास बढ़ा कर विस्तार के लिए तंत्र को और युक्तिसंगत बनाया जाए।	10.00	8.41	0.01	दक्ष मानव शक्ति के सृजन के लिए नीतियों/ रणनीतियों का विकास।	2022 तक 500 मिलियन दक्ष मानव शक्ति।	1. आईडी जनरशन मोड्यूल का परिष्कृत सैक्शन वर्सन जारी कर दिया गया था और इसे सभी सिविल मंत्रालयों में सफलतापूर्वक जारी किया गया। 2. सीपीएसएमएस पोर्टल उनकी स्थिति, पता पंजीकरण ब्यौरों एवं बैंक संबंधी जानकारी के साथ 22000 एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है। 3. एक पूर्ण रूप से नया अधिक मजबूत सुरक्षित मॉड्यूलर सिस्टम जिसके पास एसओए आर्किटेक्चर है का विकास किया गया है और उसे 1.4.2010 के क्रियान्वित किया गया है। 4(i) पीएओ से जुड़ निकनेट से संबंधित कार्य लगभग पुरा हो गया है (ii) हैदराबाद स्थित एनआईसी डेटा सेन्टर पर 15	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
							सर्वर स्थापित कर दिए गए हैं। 5. सीपीएसएमएस के डीपीआर संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिया गया और डीपीआर तैयार करने के लिए एनआईसयी के माध्यम से परामर्शदाता लगाए गए। 6. मध्य प्रदेश में एनआरएचएम ने खर्च की भरपाई शुरू कर दी है और सरकार द्वारा जिला स्तर पर निधियों का अंतरण शुरू कर दिया है। विभिन्न स्कीमों के तहत बिहार सरकार के कर्मचारियों के पास मामला प्रगति पर चल रहा है। 7. प्रधान लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा कार्यालय से 2000 से भी अधिक कर्मचारियों के सघन प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है और उन्हें आगे कार्यक्रम प्रभागों मंत्रालयों/ विभागों के आहरण एवं	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
							संवितरण कार्यालयों वेतन एवं लेखा कार्यालयों में उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण देने के कार्य में लगा दिया गया है। 8. निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में मध्य प्रदेश पंजाब, मिजोरम और बिहार में पायलट रॉल आउट किए गए क) एनआरएचएम ख) एसएसए ग) पीएमजीएसवाई घ) नरेगा	

4.2.6 सरकारी क्षेत्र में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.20 तक)				
1.	**सरकारी क्षेत्र में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण** योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति द्वारा यथानिर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार मूल्यांकन अध्ययन शुरू करना।	10.00	5.75	1.51	विकास सलाहकार समिति (डीईएसी)* के दिशा - निर्देशों के अनुसार 2009-10 तक प्राथमिकता अनुसार 12 अध्ययन शुरू दिए जाएंगे। **9 अध्ययन मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों पर हैं।		संलग्नक-2 केअनुसार	# नीचे देखें

* (1) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

(2) कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम

(3) एससी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना

(4) अनुसूचित जाति उप योजना विशिष्ट केन्द्रीय सहायता योजना और अनुसूचित जन जाति विशिष्ट केन्द्रीय सहायता योजना

(5) असहाय व्यक्तियों को फिटिंग सहायता/ एप्लाइनसिज खरीद के लिए सहायता की योजना

(6) छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों में एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली

(7) नवोदय विद्यालय समिति

(8) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मूल्यांकन

(9) सुक्ष्म सिंचाई

(10) सड़कों के लिए पीपीपी परियोजना

(11) देश के 33 लैफ्ट विंग एक्सटेंशन जिलों में 9 विकासात्मक कार्यक्रमों पर अध्ययन

(12) पिछड़ा जिला पहलें एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पर अध्ययन

(भिन्नता के कारण)

i) पीईओ के विभिन्न स्तरों पर जनसंसाधनों की उपलब्धता संबंधी दिक्कत

ii) मूल्यांकन कार्यों के विभिन्न घटकों के आउट सोर्सिंग के संबंध में जीएफआर के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है (यानी कोटेशन आमंत्रित करना, तकनीकी बोलीयों की जांच करना और वित्तीय बोलियों की जांच)। इन सभी गतिविधियों में काफी समय और संसाधनों की जरूरत होती है

iii) कुछ तकनीकी कारणों जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने में होने वाली देरी और योजना आयोग में सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करने में हुई देरी के कारण मूल्यांकन अध्ययन का कार्य शुरू करने के लिए एजेंसियों को राशि निर्धारित अवधि में संदर्भ सेवा शर्तों नहीं जारी की जा सकी।

iv) स्कीम के अंतर्गत तैयार किए गए दिशा निर्देश विचाराधीन हैं अभी उन्हें अनुमोदन दिया जाना शेष है।

4.2.7 जनसंसाधन अनुसन्धान संस्थान (आईएएमआर) को अनुदान सहायता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक				
1.	आईएएमआर को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान सहायता	5.50	5.50	5.25	मौजूदा अवसंरचना को क्रमोन्नत करना, ताकि आईएएमआर अपनी अवसंरचना,आईटी और पुस्तकालय सुविधाओं आधुनिक बना कर गतिविधियों में बढ़ोतरी कर सके। डीजीई एंड टी के आईटीआई और एटीएस के मूल्यांकन अध्ययन और अनुसंधान कार्य संपन्न करना।	इसकी अवसंरचना को आधुनिक बनाने में इनपुट्स के इम्पोर्ट के साथ सरकार के नीति निर्माताओं द्वारा इसमें वृद्धि की संभावना है। मार्च, 2010 तक मूल्यांकन अध्ययन पूरे होने की संभावना है।	आईएएमआर की अवसंरचना सुविधाओं से संबंधित कार्यों की पहल पहले से ही सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कर दी गई है। मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों से आईटीआई और एटीएस की प्रभावी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार करने में सहायता मिलेगी।	कोई कमियां नहीं रही हैं। -

4.2.8 योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
1.	योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के जरिए योजना आयोग के पास उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना।	3.75	3.20	1.28	कतिपय विशिष्ट कार्यों/ विचारणीय विषयों के लिए किसी समय एक सीमित अवधि के लिए अधिक से अधिक 60 परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञों की सेवाएं पारिश्रमिक पर लेना।	परिणाम आवश्यकता-आधारित होते हैं।	(i) अब परामर्शदाताओं की नियुक्ति योजना आयोग द्वारा सामान्य वित्तीय नियामवली 2005 के आधार पर तैयार किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।। (ii) इन्टरनशिप स्कीम के अनुसार योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में पीजी/ शोधकर्ताओं को इंटरनशिप दी गई थी। (iii)एन.आई.सी.एस.आई. के माध्यम से व्यावसायिकों के अध्ययन किराये पर लिए गए थे।	कोई कमियां नहीं हैं।

4.2.9 आजीविका संवर्धन परियोजना हेतु यूएनडीपी से सहायता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
1.	आजीविका संवर्धन के लिए जिला परियोजना हेतु यूएनडीपी से सहायता	13.19	13.19	2.79	3 राज्यों में जिला स्तरीय स्टियरिंग समिति स्थापित करना। विकेन्द्रित आयोजना के लिए रणनीति को संस्थागत बनाना। 7 राज्यों में जिला आयोजना के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रबंधन प्रक्रिया में बदलाव की पहल शुरू करना। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक एकीकृत एवं समावेशी जिला योजना पूरी की जानी है। प्रत्येक तीनों राज्यों में कम से कम एक जिले में निर्वाचित प्रतिनिधि जिला बजट में ब्लॉक स्तरीय लाइन मदों के आवंटन का अच्छी तरह से पहचानने के योग्य हो गए हैं। तीनों राज्यों में प्रत्येक में एक जिले में डीपीसी जिससे सेवा डिलीवरी के प्रभाव के सीमांकन करने वाले कम से कम दो नियंत्रण कारकों की पहचान की जा सके। दो राज्य समवर्ती मानीटरण का अनुसरण करने में सक्षम हो गए हैं।	अभिसरण को तेज करने के लिए समन्वय व्यवस्था स्थापित की गई। जिला योजना प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए राज्य स्तरीय विजन एवं रणनीति तैयार करना। जिला योजना तंत्र अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाना। एकीकृत एवं समावेशी जिला योजना तैयार की गई।	6 राज्यों में जिला स्टियरिंग समितियां और तीन राज्यों (बिहार, झारखंड और राजस्थान) में कार्यात्मक समितियां स्थापित की गईं। मध्य प्रदेश ने रणनीति अपना ली है और उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ अपनाने की प्रक्रिया में हैं। झारखंड में प्रबंधन प्रक्रिया में बदलाव काफी प्रगति पर है और अन्य राज्यों में उसके लिए आकलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में एकीकृत जिला उप योजना की पहल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में कार्य शुरू नहीं किया गया।	• रणनीति के संबंध में सूझबूझ और उपस्करों के संबंध में सामान्य राय विकसित करना तथा इसमें कुछ समय भी लगता है। क्योंकि यह बिल्कुल नया हस्तक्षेप है। • उपयुक्त परामर्शदाता की पहचान करने में हुई देरी ही विलम्ब का कारण बन गई।

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
					डीपीसी कार्मिक एवं समुदाय प्रतिनिधि संयुक्त रूप से प्रत्येक राज्य में जिला योजनाओं के कार्यान्वयन का मॉनीटरण करते हैं।	जिले के बजट को समझने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता में सुधार देखा गया। सेवा डिलीवरी की रूकावटें /दिक्कतों की पहचान की गई और आवश्यक कार्रवाई के लिए मुद्दे प्रस्तुत किए गए। एमआईएस में सुधार हुआ और प्रभावी मॉनीटरण और कार्यक्रम प्रबंधन हेतु आंकड़ों का उपयोग किया गया। सहभागी मॉनीटरण तंत्र स्थापित किया गया।	सभी जिलों में सेवा डिलीवरी की रूकावटें/ बाधाओं की पहचान की गई और 7 राज्यों में 35 जिलों में संदर्भित मंचों पर सभी में पहचान कर उन पर चर्चा की गई। उड़ीसा और झारखंड समवर्ती सूची मॉनीटरण के माध्यम से स्कीमों और कार्यक्रम की नियमित मॉनीटरिंग करते हैं। मांडलिटीज को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब कार्य शुरू होने वाला है।	• टूल के आकलन के लिए टीओआर का विकास किया जाना। • अभिसरण सहभागियों का अंतिम फैसला लेने में समुदाय मॉनीटरण प्रक्रिया में टीओआर में समय लग गया।

4.2.10 जीवनयापन विकास रणनीतियों में सहयोग के लिए यूएनडीपी सहायता

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
1.	जीवनयापन विकास रणनीतियों में सहयोग के लिए यूएनडीपी सहायता	**2.40**	**2.40**	--	इस परियोजना के 2 घटक हैं - राष्ट्र और राज्य स्तरीय। राष्ट्र स्तरीय विकास घटक योजना आयोग से जुड़ा है। क्वांटिफाइएबल उपलब्धियां निम्न प्रकार रही हैं ट्ट 1. नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहयोग कार्य का अनुसंधान, संदर्भित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुभव से नीतिगत अनुसंधान और नए क्षेत्रों में सहायता जो राज्य स्तरीय कार्यान्वयन से आती है।	वंचित रहे लोग (गरीब महिलाएं और एससी/ एसटी, अल्पस्ख्यक और विस्थापित समूहों के व्यक्ति एनडीएएफ वाले राज्यों में राष्ट्रीय एवं राज्य गरीबी नीतियों, कार्यक्रम और जीवन यापन की रणनीतियों का वर्द्धित सार्वजनिक व्यय, निजी क्षेत्रकीय व्यवस्था और बेहतरीन सेवा तंत्र के माध्यम से लाभ उठाते हैं।	1. अच्छी प्रणालियों के दस्तावेजन हेतु रूपरेखा विकसित करना और उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए दल ने कार्यशाला का आयोजन किया जिस ने जीवन यापन सुरक्षा, आय सृजन एवं उद्यम विकास के संबंध में कार्यरत विभिन्न संगठनों ने भाग लिया।	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
					2. प्रमुख मुद्दों के संबंध में 'निचले स्तर पर उठी आवाजों" और धरातल पर कार्य करने वालों के अनुभव के आधार पर स्पोर्ट नॉलिज निर्माण एवं एडवोकेसी।		2. जीवनयापान के साथ जीवनयापन क्षेत्र में चयनित अच्छी प्रणालियों के प्रलेखन में पूरे देश में पीडब्ल्यू प्रचलित स्कीमों, नीतियों और पीडब्ल्यूडी (ज) के विभिन्न नेटवर्क कार्यों हेतु रणनीति तैयार करती है। पूरे देश में शोढ़ाणा, कंसल्टेंसी, पुणे को" पीडब्ल्यूडी के साथ जीवनयापन के क्षेत्रों में चयनित अच्छी प्रणालियों के दस्तावेजन" नामक गतिविधि के निष्पादन हेतु अंतिम सूची में रखा गया। प्रचलित स्कीमों, नीतियों और पीडब्ल्यूडी के साथ विभिन्न नेटवर्क कार्यों के विश्लेषण और आगे के कार्यों की रणनीति के लिए चुना गया। संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी की गईं और पीडब्ल्यूडी के संबंध में राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला द्वारा शुरू किए गए पहलकारी कार्यों को पूरा किया गया। गतिविधियों की अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाया गया, जिसे फरवरी, 2010 तकपूरा कर लिया जाएगा। गतिविधि के भाग के रूप में 9 दिसम्बर, 2010 को नई दिल्ली में 'पीडब्ल्यूडी" के लिए जीवन यापन नामक विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
					3. असुरक्षा को कम करने और गरीबों में जीवन यापन के विकास के लिए अवधारणात्मक रूप रेखा का विकास 4. 7 यूएन ध्यानकेंद्रण राज्यों और राष्ट्र स्तर पर ज्ञान संबंध विनिमय।		3. अत्यधिक गरीब लोगों के संबंध में कार्य करने यूएन ध्यान केंद्रेण वाले राज्यों में जमीनी प्रयोग शुरू करना, जिनमें उनकी समाधान योग्य बहु असुरक्षा दूर करने की रणनीतियां भी शामिल हैं। अगस्त, 2010 के दौरान पीएमयू ने आईआईपीए के साथ मिलकर एक पुनश्चर्या कार्यशाला भी आयोजित की। इसके अलावा पीएमयू की टीम ने राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम की गतिविधियों में सहयोग देने के लिए क्षमता वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। एनएसडीसी राष्ट्र स्तरीय एमआईएस प्रणाली को अवधारणीय बनाएगी। एनएसडीसी की विकास गतिविधियां दक्षता विकास में सहायता पहुंचाएगी और दक्षता विकास में असहाय लोगों की गतिविधियों में सहायक होंगी और राष्ट्रीय न्यास (एआरयूएनआईएम) इस में सहयोगी होगा। 4. अपनी एडवोकेसी शुरू करना, मुद्दे आधारित ई विमर्श, पारस्परिक ज्ञान संरचना विकसित करना, ध्यान केंद्रण समूह विमर्श और 7 यूएनडीएएफ राज्यों में भागीदारों की	

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक)				
					5. संदर्भित राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया लेने में सहायता, जिस में 12वीं योजना प्रक्रिया के इनपुट भी शामिल हैं।		संग्रहायता , ताकि सरकार की सहभागिता में वृद्धि हो और 7 यूएनडीएएफ वाले राज्यों में निजी भागीदारों की संख्या में वृद्धि हो। प्रस्तावित गतिविधियों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर संस्थापित ख्याति प्राप्त मंच यानि समाधान विनिमय का कार्य और रोजगार समुदाय के माध्यम से किया जा रहा है। 5. जानकारी देने में योगदान और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख जीवन यापन मंचों से सीखना/ जानकारी के योगदान में शामिल हैं - सरकार द्वारा जानकारी/ ज्ञान को पारस्परिक रूप से शेयर करना एवं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जीवन यापन विकास गतिविधियों से जानकारी हासिल करना। परिणामों ने 17-18 नवम्बर, 2010 को एक्सेस द्वारा जीवनयापन पर आयोजित सम्मेलन में एक्सस विकास सेवाओं को सूक्ष्म पूंजी अनुदान के माध्यम से सहयोग प्रदान किया। सभी सात यूएनडीएएफ राज्यों में कार्यशाला की रिपोर्ट का प्रचार-प्रसार भी किया गया।	

4.2.11 विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसन्धान और संस्थागत विकास के लिए सहायता अनुदान

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.09 तक)				
1.	विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान संस्थाओं को प्रशिक्षण, अनुसन्धान और संस्थागत विकास के लिए सहायता अनुदान । (योजना पद्धति में अध्ययन एवं अन्वेषण) योजना आयोग में उनकी उपयोगिता के लिए गोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने और अनुसंधान अध्ययन हाथ में लेने के लिए सहायता अनुदान देने की समाजार्थिक स्कीम	2.10	2.10	1.13	प्रत्येक वर्ष अनुदान सहायतार्थ औसत रूप से 20 अनुसंधान अध्ययनों और 30 सेमिनारों/ कार्यशाला को मूंजूरी प्रदान की जाती है। संशोधित एसआईआर दिशा - निर्देशों (अक्तूबर, 2009) के तहत योजना आयोग की वैबसाइट पर ध्यान केंद्रण वाले क्षेत्रों/ विषयों को रखा जाएगा ताकि योजना आयोग से संबंधित अध्ययनों हेतु प्रस्ताव लिए जा सकें।	संबंधित विषय प्रभाग और वरिष्ठ अधिकारियों को अध्ययन की अंतिम रिपोर्टें सेमिनारों हेतु आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी ताकि वे केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों के आवश्यक उपयोग के लिए भेज सकें और विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए उन्हें वार्षिक योजनाओं को बेहतरीन बनाने के लिए उन पर चर्चा कर सकें।	10 अनुसन्धान अध्ययन और 31 गोष्ठियां/ कार्यशालाएं सहायता अनुदान दिए जाने के लिए अनुमोदित की गई हैं और किए जा रहे 13 अध्ययनों की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं।	कोई बड़ी कमी नहीं है।

4.2.12 प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक				
1.	प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् i. प्रधान मंत्री द्वारा इसे संदर्भित किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना और उसके बारे में सलाह देना। ii. बृह्द आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करना और प्रधान मंत्री को उनके विचारों से अवगत कराना। यह या तो प्रधान मंत्री से संदर्भित या अपने आप या अन्य किसी से भी संबंधित हो सकता है।	1.42	1.60	1.06	प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जिन मुद्दों पर सलाह मांगी जाए, उनके बारे में सलाह और सिफारिशें करना।	प्रश्नों के विश्लेषण और उत्तर समयबद्ध होते हैं और निरन्तर आधार पर किए जाते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद् आवश्यकता के अनुसार समसामयिक आर्थिक मुद्दों के बारे में अपने आप भी रिपोर्टें भेजती हैं।	आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा दी गई नीतिगत सलाह बहुत से मुद्दों पर प्रधान मंत्री कार्यालय के नीतिगत हस्तक्षेपों का हिस्सा बनी है। इसका स्वरूप ऐसा है कि इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।	कोई कमी नहीं है।

4.2.13 न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था पर विशेषज्ञ समूह

क्रम सं.	कार्यक्रम/ स्कीम का नाम और उद्देश्य/परिणाम	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिफाइएबल डिलिविरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अन्तर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिस.10 तक				
1.	न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था पर विशेषज्ञ समूह	2.00	0.50	--	--	न्यून कार्बन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि न्यून कार्बन विकास पर रोड मैप की रूप रेखा तैयार की जा सके।	--	--

4.2.14 सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नव प्रवर्तन पर प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय

क्र0 सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम और उद्देश्य	योजना परिव्यय			क्वांटिपाइएबल डिलीवरेबल्स / भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 01 तक)				
1.	सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नव प्रवर्तन पर प्रधान मंत्री के सलाहकार का कार्यालय प्रधानमंत्री को निम्न पर सलाह देना : 1. सभी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं को पारस्परिक रूप से जोड़ने के लिए एनकेएन का प्रचालन। 2. पंचायतों को ब्रोडबैंड संपर्कता। 3. रेलवे में आईसीटी का उपयोग। 4. न्याय प्रणाली में आईसीटी का उपयोग 5. नवप्रवर्तन के इस दशक के लिए रोड मैप और कार्रवाई योजना।	5.00	3.25	0.26	कार्यालयों के कार्य हेतु कोई क्वांटिफाइएबल लक्ष्य प्रकृति में क्वालिटेटिव और सलाहकारी नहीं है।	1. नवप्रवर्तन के माध्यम से भारत की वैश्विक स्पर्धा को बढ़ाना एवं प्रमुख क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन पर सूचना और गुणवत्ता संबंधी सार्वजनिक सेवाओं पर पहुंच को सुदृढ़ करना। 2. 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए नव प्रवर्तनों की शुरूआत हेतु रोड मैप तैयार करना।	क. प्रधान मंत्री के सलाहकार ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं- 1. प्रधान मंत्री को पंचायतों को ब्रोड बैंड से जोड़ने के लिए। 2. रेलवे मंत्री के लिए रेलवे को आईसीटी से जोड़ने हेतु। ख. राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषदों का गठन। ग. राज्य और क्षेत्रकीय नवप्रर्वतन परिषदों के गठन हेतु कार्रवाई शुरू करना।	कोई कमी नहीं रही।

4.2.15 योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता - अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच

क्र0 सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम और उद्देश्य	योजना परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए)			क्वांटिपाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 10 तक)				
1.	अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच 1. परिवहन क्षेत्रक के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच एक रणनीतिक चिंतन का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष यह 50 देशों से भी अधिक मंत्रियों को एक साथ आमंत्रित करता है जिस में अग्रणी निर्णयकर्ता भी शामिल होते हैं। इस में निजी क्षेत्रक, सिविल सोसाइटी, अनुसंधान के व्यक्ति भी शामिल होते हैं ताकि रणनीतिक परिवहन मुद्दों का समाधान किया जा सके। 2. मंच का लक्ष्य परिवहन नीति तैयार करने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता पहुंचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इससे आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक समावेशन और मानवीय जीवन के संरक्षण और उनके अस्तित्व में योगदान को सुनिश्चित करता है।	0.65	0.65	0.24	-	न्यू मंच का लक्ष्य है कि नीति निर्माताओं और सामान्य जनता को परिहवन की भूमिका के बारे में अधिक गहराई से समझने में सहायता पहुंचाई जाए। अगला लक्ष्य है कि परिवहन और लॉजिस्टिक को और अधिक एकीकृत करके सामान्य नीति तैयार की जाए और साथ ही धारणीय आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं का विकास किया जाए। यह मंच परिवहन रणनीति और परिहवन मुद्दों पर जो वैश्विक महत्व के हैं, पर विचार-विमर्श को रेखांकित करने के लए उत्कृष्ट मंच रहेगा।		

4.2.16 परिवहन नीति पर विशेषज्ञ समूह

क्र0 सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम और उद्देश्य	योजना परिव्यय			क्वांटिपाइएबल डिलीवरेबल्स/ भौतिक परिणाम	प्रक्षेपित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (दिसंबर, 01 तक)				
1.	परिहवन नीति पर विशेषज्ञ समूह (राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति पर डॉ राकेश मोहन समिति) राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) एक उच्च स्तरीय समिति डॉ राकेश मोहन की अध्यक्षतामें गठित की गई है, जो कि इस कार्य को अवैतनिक रूप से निभाएंगे और उनका स्तर राज्य मंत्री (एमओएस) का होगा। समिति गठित करने का मुख्य उद्देश्य है कि एक दीर्घ कालीन नीति का वातावरण तैयार किया जाए, जो स्पर्धात्मक कीमतों को प्रोत्साहित करेगा और परिवहन के वैकल्पिक साधनों में समन्वय स्थापित करेगी, ताकि देश में एकीकृत और संधारणीय परिहवन नीति लाई जा सके।	3.00	3.00	0.04	--	एनटीडीपीसी सिफारिशें करेगी, जिससे देश की राष्ट्रीय परिहवन नीति तैयार की जा सकेगी।	---	कोई कमी नहीं है।

(सन्दर्भः पैरा 4.1.15 -क्वांटिफाएबल डिलिवरेबल्स और उपलब्धियां 2009-10)

क्रम सं.	क्रियाकलाप	संस्था	परियोजना अवधि में उप-क्रियाकलाप	क्वांटिफाएबल डिलिवरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	उपलब्धियां
1.	राज्य सरकारों की क्षमता का निर्माण	मानव विकास अनुसन्धान और समन्वय यूनिट	मानव विकास अनुसन्धान, विश्लेषण और पूर्वानुमान, समन्वय, परामर्श, जिला मानव विकास रिपोर्टें और विषयक रिपोर्टें	15 सहभागी राज्यों में एच.डी. प्रकोष्ठ स्थापित करना और एच.डी. अनुसन्धान पर गतिविधियां शुरू करना और विश्लेषण, समन्वयन (वार्षिक मानव विकास ज्ञापन, जिला एचडीआर(एस) तैयार करना, चुनिंदा स्कीमों, थिमेटिक एच रिपोर्ट की पहचान और विश्लेषण।	सहभागी सभी 15 राज्यों में एच.डी. प्रकोष्ठ स्थापित किए गए। चौदह राज्यों की कार्य-योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।
			एच.डी.आर. का प्रसार और समर्थन।	स्थानीय भाषाओं में एच.डी. पैम्फलेट तैयार करना और उनका प्रसार करना, नागरिक रिपोर्ट कार्ड, पोस्टर, निबन्ध और प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं, टी.वी. स्पाट, स्थानीय समाचारपत्रों में अधिकृत लेख।	राज्यों की अनुमोदित कार्य-योजनाओं के अनुसार समर्थन के क्रियाकलाप हाथ में लिए जा रहे हैं।
			राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों और अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानव विकास हेतु जिला योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम ताकि राज्य और जिला योजना पद्धति को सुदृढ़ किया जा सके।	उपयुक्त टीओटी मॉड्यूल का विकास। केलेण्डर वर्ष 2008 के दौरान टीओटी के 3 दौरों का संचालन और केलेण्डर वर्ष 2009 के दौरान 7 दौर चलाना।	टीओटी माड्यूल विकसित किए एवं उनका सदुपयोग किया गया। जून 2008 से नवम्बर 2009 के दौरान टीओटी के दस दौर चलाए गए। इस अवधि के दौरान 250 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	संस्था	परियोजना अवधि में उप-क्रियाकलाप	क्वांटिफाएबल डिलिवरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	उपलब्धियां
		आई.जी.आई.डी.आर., मुम्बई	अनुसन्धान निविष्टियां और अनुसन्धान क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।	आठ प्रारम्भिक परियोजना राज्यों को एच.डी. विश्लेषण में तकनीकी सहायता देना, आठ एम.डी.जी. में से प्रत्येक के लिए जिला स्तर पर क्वांटिफाइएबल संकेतकों के बारे में अवधारणा पत्र और गरीबी घटाने की कार्यनीति सम्बन्धी पत्र (पी.आर.एस.पी.) तैयार करना।	तीन राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश) के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यनीति पेपर (पीआरएसपी) की पहल की गई। पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया और तमिलनाडु के लिए प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई और उसे अंतिम रूप देने के लिए तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर लिया गया।
		प्रयास, पुणे	सर्वोत्तम पद्धति का प्रलेखन	विभिन्न राज्यों से एकत्र सूचना के आधार पर मानव विकास पर सर्वोत्तम पद्धति मेनुअल के दूसरे खंड का अन्तिम दस्तावेज़।	सर्वोत्तम पद्धति मैनुअल को मुद्रण करवाया गया और इसे केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राज्य एटीआई/एसटीआरडी को प्रसारित करने के लिए इसका वितरण किया गया।
		आर.बी.आई. प्रशिक्षण कालेज	एच.डी. के बारे में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	केलेण्डर वर्ष 2008-09 के दौरान मानव विकास और जिला आयोजना पर प्रशिक्षकों के कुल 10 दौर।	टीओटी के दस दौर पूरे किए गए।
		पी.सी./यू.एन.डी.पी. प्रत्यक्ष सहायता	डीएचडीआर पर दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं। वित्तीय प्रबन्ध के बारे में राज्य सरकार के लिए लेखा-परीक्षा क्लिनिक।	दो दौर क्षेत्रीय रूप से संचालित किए जाने हैं।	मई और जून 2009 में दो भागों में राज्यों के साथ समीक्षा, बैठकें और परामर्श किए गए जहां परियोजना की गतिविधियों और उनके कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

क्रम सं.	क्रियाकलाप	संस्था	परियोजना अवधि में उप-क्रियाकलाप	क्वांटिफाएबल डिलिवरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	उपलब्धियां
2.	राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई	जिला स्तर के विपुल आंकड़े	प्रशिक्षण माड्यूलों का वैधीकरण, विभिन्न क्षेत्रों में 6 रिहायशी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।	मार्च, 2008 में प्रशिक्षण का छठा और अंतिम दौर चलाया गया। अंतिम रिपोर्ट प्रकाशन के स्वरूप में है जिसमें प्रशिक्षण प्रणालियों तथा विपुल सांख्यिकी की जारी अवधारणाओं को कवर किया गया है और इसे संवितरण के लिए मुद्रित करा लिया गया है।
		भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता	जिला गरीबी के अनुमान लगाना, प्रतिव्यक्ति व्यय (पी.सी.ई.) वितरण के अनुमान, अन्तर्जिला कीमत अन्तर, गरीबी रेखा केलीब्रेशन।	दो कार्यशालाएं/विशेषज्ञ समूह की बैठकें। समय-समय पर तकनीकी रिपोर्टें तैयार करना और अंतिम रिपोर्ट तैयार करना।	जिला गरीबी के बारे में क्रिया-विधि का मसौदा तैयार किया गया और महा निदेशक (एनएसएसओ) की अध्यक्षता में इसे सलाहकार समिति के समक्ष 19.5.2008 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रणाली में सुधार की दृष्टि से कार्य (जैसे फील्ड टैस्टिंग) प्रगति पूरा कर लिया गया है और प्रणाली में तदनुसार संशोधन कर लिया गया है। प्रणाली पर अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
		सी.एस.ओ.	जिला आय अनुमान के बारे में प्रशिक्षण	सी.एस.ओ. के सहयोजन से 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।	सभी 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित।
		राज्य सरकार	जिला स्तर के सांख्यिकीय विभागों और एजेंसियों को प्रशिक्षण देना, उपस्कर और अनुसन्धान सहायता देना।	जिला स्तरों पर डेटा एकत्र करने की प्रणाली स्थापित करना और उसमें सुधार करना।	राज्यों की कार्य-योजनाओं के अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार राज्य स्तर पर क्रियाकलाप शुरू किए गए।
3.	मानव विकास के लिए वित्तपोषण	एन.आई.पी.एफ.पी. (दिल्ली)	मानव विकास के वित्तपोषण के विकल्पों के बारे में अनुसन्धान अध्ययन	9 राज्य स्तरीय अध्ययनों को पूरा करना, मानव विकास के वित्तपोषण के बारे में वार्षिक सम्मेलन और दस कार्यचालन पत्र तैयार करना।	तीन राज्य रिपोर्टों (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा) को अन्तिम रूप देकर प्रकाशित किया गया दिया गया। अन्य 3 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र) की रिपोर्टों के मसौदे तैयार किए गए। केरल

क्रम सं.	क्रियाकलाप	संस्था	परियोजना अवधि में उप-क्रियाकलाप	क्वांटिफाएबल डिलिवरेबल्स/ भौतिक उत्पादन	उपलब्धियां
					राज्य की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मानव विकास के वित्तय पोषण संबंधी वार्षिक सम्मेलन फरवरी, 2008 में आयोजित किया गया।
4.	राज्य/जिला स्तरीय योजनाओं की एनजेंडरिंग	राज्य सरकार, अनुसन्धान संस्थाएं, ए.टी.आई.	योजना-निर्माताओं और नीति-निर्माताओं की क्षमता का विकास करना, ताकि वे ऐसे कार्यक्रम तैयार, कार्यान्वित और मानीटर कर सकें, जिनसे महिलाएं और पुरुष संसाधन और लाभ समान रूप से प्राप्त कर सकें।	नीति-निर्माताओं के लिए क्षमता विकास, अलग-अलग लिंगों के डाटा का संग्रह और प्रसार, जेंडर बजटिंग और प्रभाव आकलन अध्ययन, प्रसार कार्यशालाएं और पक्षपोषण।	राज्य सरकार के अनुमोदित प्रस्तावों के अनुसार कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं।
5.	यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव विकास के सन्देश व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं, समर्थन के प्रयासों को सुदृढ़ बनाना।	राज्य सरकार	यह सुनिश्चित करने के लिए कि एस.एच.डी.आर. और एच.डी. अवधारणाएं व्यापक रूप से समझी और प्रसारित की जाएं, संवेदनशीलता और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना। राज्य-सापेक्ष मीडिया कार्यनीतियों के विकास पर बल दिया जाएगा।	सभी स्तरों पर एच.डी. अवधारणाओं और मुद्दों का समर्थन, जिससे राज्य और जिला योजनाएं एच.डी. आधारित हों।	प्रतिभागी राज्यों द्वारा एच.डी. अवधारणाओं के बारे में संवेदनशीलता और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
		एफ.टी.आई.आई., पुणे	राज्य एच.डी.आर. सन्देशों का श्रव्य-दश्य प्रलेखन, मीडिया कार्यनीतियों का विकास और मीडिया सम्मेलन।	कुल 30 फिल्में पूरी की जानी हैं। वार्षिक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जाना है।	30 फिल्में शुरू की गईं। जिनमें से 20 फिल्में पूरी की ली गईं हैं और उन्हें संबंधित राज्यों को वितरित कर दिया गयाहै। शेष 10 फिल्में पूरी होने के अंतिम चरण में हैं।

(संदर्भ पैरा 4.1.1 प्रक्षेपित अनुमान-यूआईडीएआई 2009-10)

1. यह अवधारण यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आधार का कार्य करेगी और अवधारण पेपर्स यूआईडी की डिजाइनिंग में सहायता करेंगे, ताकि सरकार की कल्याण स्कीमों की प्रभावी डिलीवरी का उद्देश्य पूरा हो सके।
2. पूरे देश में प्रत्येक नागरिक के लिए मानककीकृत आंकड़े एकत्रित करने के लिए येमानक बैडरॉक का कार्य करेंगे।
3. उपर्युक्तानुसार और इसके अलावा और यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि डेटाबेस में कोई डुप्लीकेट्स नहीं होंगे।
4. यूआईडी संख्या जारी करने संबंधी अवधारण में सुधार करने के लिए टिप्पणियां और सुझाव और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहयोग।
5. अवधारणा अध्ययन के पायलैट और प्रूफ से विभिन्न हाइपोथेसिस, घटकों और परियोजना के दौरान यूआईडीएआई की प्रशिक्षण रणनीतियों के क्षेत्रीय परीक्षण में सहायता मिलेगी। इससे अच्छे समय के प्रचालन दिशा निदेशों, आंकड़ा समाहरण, संचरण, भंडारण और इन पायलैट्स के दौरान यूआईडीएआई की प्रशिक्षण रणनीतियों में सहायता मिलेगी।

(संदर्भ पैरा 4.1.7 - 2009-10 के दौरान अन्तर के कारण - सरकार में मूल्यांकन क्षमता सुदृढ़ीकरण)

i) पीईओ के विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति की कठिनाई।

ii) मूल्यांकन कार्यों के विभिन्न घटकों के आउटसोर्सिंग के लिए जीएफआर के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना (अर्थात निविदा आमंत्रित करना, तकनीकी बिड्स की जांच करना और वित्तीय बिड की जांच)। इस सभी के लिए पर्याप्त संसाधनों और समय की जरूरत पड़ती है।

iii) तकनीकी कारणों से शुरू किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के कार्य के लिए संबंधित एजेंसियों को निधि जारी नहीं की जा सकी।

iv) इस स्कीम के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देश अभी प्रस्तुत किए जाने हैं और उनके लिए अभी अनुमोदन भी लिया जाना है।

(संदर्भ पैरा 4.2.1 प्रक्षेपित परिणाम - यूआईडीएआई 2010-11)

1. फेज-1 के भाग के रूप में आयोजित पीओसी/ पायलैट्स अध्ययन से यूआईडीएआई अवधारण के फील्ड परीक्षण और फेज-2 में यूआईडी संख्या के रॉल आउट में सहायता मिलेगी।
2. यूआईडी संख्या जारी करने से प्रत्येक नागरिक को एकल पहचान मिलेगी और इससे सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्लेट फार्म भी मिलेगा।
3. सरकारी एजेंसियों के बीच सहभागिता के जरिए संबंधित संगठनों की क्षमता के सदुपयोग का विचार भी किया गया है।

4. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से आधार पर कार्यान्वयन होगा, जो सभी निवासियों के बारे में जनांकीकी और जीवांकीकी संबंधी आंकड़ों का एकत्र रखेगा।

5. इस सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर से आधार संख्या मुहैया कराने में प्रबंधकीय सहायता मिलेगी और विभिन्न भागीदारों के लिए सहायक रेखा के रूप में सहायक होगी।

6. निवासियों को आधार के माध्यम मिल सकने वाले लाभों से पूरी तरह अवगत कराना।

7. भूमि अधिग्रहण और स्थायी भवन के निर्माण से एक्सचैकर पर किराए की आवर्ती मूलक जिम्मेदारी से पीछा छूटेगा।

(संदर्भ पैरा 4.2.6 - 2010-11 के दौरान उपलब्धियां): - सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण

i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर मूल्यांकन अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

ii) सर्वशिक्षा अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुतकर दी गई है, जिसे योजना आयोग की वेबसाइट पर रखा गया है।

iii) एकीकृत बाल विकास सेवा के मूल्यांकन अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

iv) ग्रामीण सड़कों पर मूल्यांकन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसे योजना आयोग की वेबसाइट पर रख दिया गया है।

v) राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

vi) एमडीएम पर मूल्यांकन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसे योजना आयोग की वेबसाइट पर रख दिया गया है।

vii) राष्ट्रीय सव विकास योजना पर मूल्यांकन अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और इसे योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

viii) समग्र साफ सफाई अभियान पर मूल्यांकन अध्ययन पर डेटा एंट्री और रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

ix) तिलहन, दाल, आयल पाम और मक्का पर एकीकृत स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन संबंधी फील्ड कार्य प्रगति पर है।

x) पी3 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूल्यांकन अध्ययन आउटसोर्स की प्रक्रियाधीन है।

xi) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

xii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में डिजाइन तैयार कर ली गई है।

xiii) शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों को सहायता पर मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में डिजाइन तैयार कर ली गई है।

xiv) लघु सिंचाई पर मूल्यांकन अध्ययन संबंधी डिजाइन तैयार कर ली गई है।

xv) लक्षित सार्वजनिक मूल्यांकन अध्ययन आउट सोर्स कर लिया गया है।

xvi) जनजातीय उपयोजना का विशिष्ट संवैधानिक सहायता पर मूल्यांकन अध्ययन का आउट सोर्स कर लिया गया है1

xvii) पिछड़ा क्षेत्र राहत अनुदान निधि मूल्यांकन अध्ययन आउट सोर्स कर लिया गया है।

xviii) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रमों पर मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

xix) एससी,एसटी, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन की डिजाइन तैयार कर ली गई है।

अध्याय-5
वित्तीय समीक्षा

5.1 स्कीम-वार योजना

(करोड़ रूपए में)

योजना मंत्रालय / स्कीम		2008-2009 वास्तविक व्यय	2009-2010 वास्तविक व्यय	2010-2011		
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसंबर, 2010 तक वास्तविक (बीई 2009-10 पर प्रतिशत)
क्र0 सं0	राजस्व खंड					
1.	पीपीपी द्वारा दक्षता विकास हेतु नए प्रयास	शून्य	0.03	10.00	8.41	0.01 (0.10%)
2.	पीआईआईआई पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय	शून्य	शून्य	5.00	3.25	0.26 (5.20%)
3.	सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम	0.01	---	--	--	--
4.	कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण (एम.ओ.ओ.एस.)					
	(i) नवीकरण और फेर-बदल	4.34	4.65	3.50	4.10	2.22 (63.43%
	(ii) सूचना प्रौद्योगिकी	1.26	1.00	1.00	1.00	0.61 (61.00%)
	जोड़ - (एम.ओ.ओ.एस.)	5.60	5.65	4.50	5.10	2.83 (62.89%)
5.	प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	1.15	1.00	1.42	1.60	1.06 (74.65%)
6.	राष्ट्रीय ज्ञान आयोग	2.33	शून्य	--	--	--
7.	प्रशिक्षण, अनुसंधान और संस्थागत विकास के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान	1.46	1.66	2.10	2.10	1.13 (53.81%)
8.	योजना प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञता	0.82	1.96	4.40	3.85	1.52 (34.55%)
9.	राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने हेतु यूएनडीपी से सहायता	6.00	11.20	--	--	--
10.	योजना के लिए 50वें वर्ष की पहल	5.42	9.84	14.00	13.50	3.17 (22.64%)

योजना मंत्रालय		2008-2009 वास्तविक व्यय	2009-2010 वास्तविक व्यय	2010-2011		
स्कीम				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसंबर, 2010 तक वास्तविक (बीई 2009-10 पर प्रतिशत)
क्र0 सं0	राजस्व खंड					
11.	सरकारी क्षेत्र में मूल्यांकन क्षमता सुदृढ़ीकरण	1.41	1.68	10.00	5.75	1.51 (15.10%)
12.	आईएएमआर को सहायता अनुदा	शून्य	4.34	5.50	5.50	5.25 (95.45%)
13.	आयोजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	0.20	5.34	9.88	9.19	2.16 (21.86%)
14.	गरीबी उपशमन के लिए ग्रामीण विकेन्द्रीकरण और भागीदारी आयोजना हेतु यूएनडीपी सहायता	3.70	--	--	--	--
15.	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण	--	18.71	1719.50	745.66	39.01 (2.27%)
16.	जिला स्तरीय योजना प्रक्रिया की क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी से सहायता	--	7.77	13.19	13.19	2.79 (21.15%)
17.	आजीविका संवर्धन परियोजना हेतु यूएनडीपी से सहायता	--	0.41	2.40	2.40	--
18.	निम्न कार्बन इकॉनामी पर विशेषज्ञ दल	--	--	2.00	0.50	--
19.	परिवहन नीति पर विशेषज्ञ दल	--	--	3.00	3.00	0.04 (1.33%)
	जोड़ः राजस्व खण्ड	**28.10**	**69.59**	**1806.89**	**823.00**	**60.74 (3.36%)**
	प्रभारित	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	स्वीकृत	**28.10**	**69.59**	**1806.89**	**823.00**	**60.74 (3.36%)**
	पूंजी खंड					
20.	कार्यालय प्रणाली का आधुनिकीकरण (एम.ओ.ओ.एस.) (i) नवीकरण और फेर-बदल (ii) सूचना प्रौद्योगिकी	 4.20 2.40	 4.79 4.39	 3.00 7.61	 1.50 4.00	 0.21 (7.00%) 0.47 (6.18%)
	जोड़-एम.ओ.ओ.एस.	6.60	9.18	10.61	5.50	0.68 (6.40%)
21.	आयोजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त	3.27	0.61	2.00	1.50	0.03 (1.50%)

योजना मंत्रालय		2008-2009 वास्तविक व्यय	2009-2010 वास्तविक व्यय	2010-2011		
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसंबर, 2010 तक वास्तविक (बीई 2009-10 पर प्रतिशत)
स्कीम						
क्र0 सं0	राजस्व खंड					
	प्रबंधन प्रणाली					
22.	सूचना प्रौद्योगिकी भारतीय अनन्य प्राधिकरण (i) सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय (ii) अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	-- --	-- 6.96	50.00 130.50	20.00 195.00	-- 19.37 (14.84%)
	जोड़ यूआईडीएआई	--	6.96	180.50	215.00	19.37 (10.73%)
	भारित	--	--	--	--	--
	स्वीकृत	**9.87**	**16.75**	**193.11**	**960.66**	**20.08 (10.40%)**
	कुल जोड़ (योजना)	**37.97**	**86.34**	**2000.00**	**1045.00**	**80.82 (4.04%)**

(करोड़ रूपए में)

गतिविधिवार गैर-योजना व्यय						
योजना मंत्रालय		2008-2009 वास्तविक व्यय	2009-2010 वास्तविक व्यय	2010-11		
				बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसंबर, 2010 तक वास्तविक (बीई 2010-11 पर प्रतिशत)
क्र0 सं 0	राजस्व खंड					
1.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	0.27	0.25	0.42	0.42	0.22 (52.38%)
2.	योजना आयोग/योजना बोर्ड	45.11	58.25	48.17	59.81	47.19 (97.97%)
3.	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	4.34	5.61	4.80	6.00	4.21 (87.71%)
4.	विभागीय कैंटिन	--	0.35	0.43	0.43	0.31 (72.09%)
5.	आईएएमआर - स्थापना को अनुदान सहायता	5.01	6.50	5.50	6.00	4.40 (80.00%)
	राजस्व :-	**54.73**	**70.96**	**59.32**	**72.66**	**56.33 (94.96%)**
	भारित :-	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	स्वीकृत :-	**54.73**	**70.96**	**59.32**	**72.66**	**56.33 (94.96%)**
	पूंजी :-					
	भारित :-	--	--	--	--	--
	स्वीकृत :-	--	--	--	--	--
	सकल जोड़ (गैर-योजना)	**54.73**	**70.96**	**59.32**	**72.66**	**56.33 (94.96%)**
	सकल जोड़ (योजना+गैर योजना)	**92.70**	**157.30**	**2059.32**	**1117.66**	**137.15 (6.66%)**

वित्तीय समीक्षा

5. 3. कार्य शीर्षवार वर्गीकरण

(करोड़ रूपये में)

योजना मंत्रालय / कार्य शीर्ष		2008-2009 वास्तविक व्यय			2009-2010 वास्तविक व्यय			2010-11								
								बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			दिसंबर, 2010 तक वास्तविक (बीई 2010-11 पर प्रतिशत)		
क्र. सं.		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
01.	वेतन	0.40	39.36	39.76	1.81	51.98	53.79	29.49	39.09	68.59	10.78	51.43	62.21	7.90	41.40	49.30 (79.25%)
02.	मजदूरी	--	0.16	0.16	--	0.17	0.17	0.56	0.22	0.78	0.03	0.22	0.25	0.01	0.17	0.18 (72%)
03.	समयोपरि भत्ता	--	0.16	0.16	--	0.15	0.15	0.14	0.19	0.33	0.02	0.19	0.21	--	0.09	0.09 (42.86%)
04.	चिकित्स प्रतिपूर्ति	--	0.51	0.51	--	0.64	0.64	1.60	0.67	2.27	0.14	1.17	1.31	0.02	0.77	0.79 (60.31%)
05.	घरेलू यात्रा व्यय	0.06	2.24	2.30	0.31	2.64	2.95	6.01	3.26	9.38	5.87	3.27	9.14	1.41	2.23	3.64 (39.82%)
06.	विदेशी यात्रा व्यय	--	0.96	0.96	--	1.00	1.00	3.75	1.56	5.31	2.82	1.56	4.38	0.16	0.88	1.04 (23.74%)
07.	कार्यालय व्यय	6.73	4.94	11.67	20.45	5.73	26.18	58.05	5.90	63.95	42.91	5.90	48.81	10.83	4.68	15.51 (31.78%)
08.	किराया, दरें, कर	--	0.02	0.02	6.27	0.03	6.30	64.45	0.07	64.52	33.28	0.02	33.30	13.18	0.02	13.20 (39.64%)
09.	प्रकाशन	0.78	0.45	1.23	0.86	0.42	1.28	3.50	0.52	4.02	2.04	0.44	2.48	0.55	0.15	0.70 (28.23%)
10.	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.94	0.66	1.60	0.70	0.89	1.59	108.93	0.98	109.90	58.42	1.10	59.52	0.86	0.61	1.47 (2.47%)
11.	विज्ञापन एवं प्रचार	--	--	--	--	--	--	50.00	--	50.00	50.00	--	50.00	6.40	--	6.40 (12.8%)
12.	व्यावसायिक सेवाएं	10.78	--	10.78	24.27	0.60	24.87	134.02	1.00	135.02	30.05	1.00	31.05	8.61	0.73	9.34 (30.08%)
13.	सहायता अनुदान	7.49	5.02	12.51	14.24	6.51	20.75	28.36	5.51	33.87	30.36	6.01	36.37	5.31	4.41	9.72 (26.73%)
14.	अंशदान	--	--	--	0.25	--	0.25	0.65	--	0.65	0.65	--	0.65	0.24	--	0.24 (36.92%)
15.	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	--	--	--	--	--	--	3.92	--	3.92	3.92	--	3.92	3.92	--	3.92 (100.00%)
16.	अन्य प्रभार	0.91	0.25	1.16	0.43	0.21	0.64	1313.46	0.35	1313.81	551.71	0.35	552.07	1.33	0.19	1.52 (0.28%)
17.	मशीन एवं उपस्कर	9.88	--	9.88	16.74	--	16.74	93.11	--	93.11	192.00	--	192.00	20.09	--	20.09 (0.10%)
18.	मुख्य कार्य	--	--	--	--	--	--	100.00	--	100.00	30.00	--	30.00	--	--	--
	जोड़	**37.97**	**54.73**	**92.70**	**86.33**	**70.97**	**157.30**	**2000.00**	**59.32**	**2059.32**	**1045.00**	**72.66**	**1117.66**	**80.82**	**56.33**	**137.15(12.27%)**

5.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र और खर्च न हुई शेष राशिः

योजना मंत्रालय में समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, आदि को निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1. अनुसन्धान अध्ययन, सब्सिडी सहित, यदि कोई हो, ऐसे अनुसन्धान के निष्कर्षों के प्रकाशन के लिए;
2. सेमिनार/ कार्यशालाएं; और
3. राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों को, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर, प्रकाशन अनुदान।

जनसाधन अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को निम्नलिखित शीर्षों के तहत भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं:

क) सम्बद्ध व्यय की स्थापना के लिए गैर-योजना अनुदान, और

ख) योजना आयोग की वर्तमान रुचि के विषयों पर अध्ययन करने के लिए आई.ए.एम.आर. को सहायता अनुदान।

उल्लेखनीय है कि संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों के सम्बन्ध में 0.31 करोड़ रुपये के केवल 7 उपयोग प्रमाण-पत्र लम्बित हैं। किसी भी इकाई के मामले में कोई खर्च न हुई राशि शेष नहीं है।

अध्याय 6
स्वायत्त संगठनों का कार्य-निष्पादन

संस्थान द्वारा 2009-10 के दौरान पूरे किए गए क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार हैः

1. शिक्षा और प्रशिक्षण

1.1 शिक्षा

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	मानव संसाधन योजना और विकास में उन्नत डिप्लोमा (नवम्बर 16, 2009-अगस्त 16, 2010)	09 महीने	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 24
2.	मानव संसाधन योजना और विकास में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम (फरवरी 1, 2009-जनवरी 31, 2010)	12 महीने	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 41

उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न विकासशील और अल्प-विकसित देशों से लिया गया था। प्रतिभागियों को गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा मास्टर डिग्री प्रदान की गई थी।

1.2 प्रशिक्षण

अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभागी

क्रम संख्या	निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	अभ्युक्ति/अवधि
1.	विदेश मंत्रालय	वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 8 प्रतिभागी	मई 4 से जून 1, 2009
2.	डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रायोजित	मानव संसाधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 3 प्रतिभागी	जून 8 से जून 12, 2009

क्रम संख्या	निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	अभ्युक्ति/अवधि
3.	विदेश मंत्रालय	मानव संसाधन योजना और विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 29 प्रतिभागी	जुलाई,15 से सितम्बर 9, 2009
4.	विदेश मंत्रालय	जनसाधन अनुसंधार पर अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 24 प्रतिभागी	अक्तूबर 6 से नवम्बर 30, 2009

ख. राष्ट्रीय प्रतिभागी

क्र0 सं0	द्वारा प्रायोजित	कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागितयों की संख्या	टिप्पणियां/ अवधि
1.	जन कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी हेतु प्रौन्नयन परिषद (कपार्ट)	युवा व्यावसायिकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	25	29 जुलाई से 13 अगस्त, 2009
2.	जन कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी हेतु प्रौन्नयन परिषद (कपार्ट)	युवा व्यावसायिकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	25	2 सितम्बर से 17 सितम्बर, 2009

2 2009-10 के दौरान प्रगति में रहे अध्ययन

क्र0 सं0	द्वारा प्रायोजित	अध्ययन का नाम	टिप्पणियां
1.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	राष्ट्रीय तकनीकी संसाधन सूचना सप्रणाली	प्रगति पर
2.	हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित	झज्जर जिले के लिए व्यापक कृषि योजना	प्रगति पर
3.	योजना आयोग द्वारा प्रायोजित	लक्ष द्वीप के लिए 11वीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन	प्रगति पर
4.	योजना आयोग द्वारा प्रायोजित	रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशक की प्रशिक्षु योजना का मूल्यांकन	प्रगति पर
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय कृषि नवप्रवर्त्तन परियोजना (एनएआईपी)	कृषि में भावी संसाधन पूंजी का मूल्यांकन	प्रगति पर

3. आईएएमआर द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान कार्य

1. मैनपावर प्रोफाइल इंडिया ईयरबुक
2. अनौपचारिक क्षेत्रक के बारे में सैकेंडरी डेटा बेस का विश्लेषण
3. भारतीय विनिर्माण में 1985-01 में कुल कारक उत्पादकता विकास।
4. आईटी जनसंसाधन सूचना प्रणालीः निजी प्रशिक्षण संस्थाओं से पास हुए श्रम बाजार परिदृश्य पर प्रकरण अध्ययन।

आईएएमआर प्रकाशन

प्रकाशित

इश्यू पेपर

1. भारत में दक्षता विकास की चुनौतियों का सामनाः डॉ0 एमआर प्रसाद, डॉ0 मृदुला शर्मा, डॉ0 रश्मि अग्रवाल, डॉ0 राची जोशी, डा0 एसके साहा और अंकिता गांधी द्वारा इश्यू पेपर

वैकल्पिक पेपर

1. संतोष महरोत्रा द्वारा भारतीय एवं वैश्विक आर्थिक संकट
2. विपरीत दशा से सीखनाः डॉ. संतोष महरोत्रा द्वारा आर्थिक संकट के समय एशिया और लेटिन अमेरिका से सामाजिक सुरक्षा
3. भारत में शिक्षा के अधिकार की लागत और उसका वित्त पोषणः - डॉ. संतोष महरोत्रा द्वारा क्या हम अंतराल को भर सकते हैंi
4. डॉ. संतोष महरोत्रा द्वारा भारत के विशेष प्रकरण में दक्षता विकास पर सावर्जनिक नीतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार

सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तक

1. जन संसाधन की रूपरेखा भारतीय वार्षिक पुस्तक-2009

जनसंसाधन पत्रिकाएं

1. खण्ड 44 संख्या 1 (जनवरी- मार्च, 2009)
2. खण्ड 44 संख्या 2 (अप्रैल - जून, 2009)
3. खण्ड 44 संख्या 3 (जुलाई - सितम्बर, 2009)

प्रकाशन अधीन

वर्किंग पेपर्स

1. कृषि जन संसाधन श्रम बाजार सांख्यिकी - डॉ0 आईसी अवस्थी का नोट।

जन संसाधन पत्रिकाएं

1. खण्ड 44 संख्या 4 (अक्तूबर - दिसंबर, 2009)
2. खण्ड 45 संख्या 1 (जनवरी - मार्च, 2010)

रिपोर्टें

1. फार्मेसी के रोजगार परिदृश्य, प्रबंधन और एचएमसीटी डिग्री धारकों पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 2008
2. फार्मेसी के रोजगार परिदृश्य, प्रबंधन और एचएमसीटी डिग्री धारकों पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 2008
3. इंजीनियरों/ फार्माशिष्ट/ प्रबंधन व्यावसायिकों के लिए श्रम बाजार डयनामिक्स पर अखिल भारतीय रिपोर्ट - 2008 (स्थापना)

भाग - II

वित्तीय

वर्ष 2009-10, 2010-11(दिसंबर 2010 तक) संस्थान की आय एवं वर्ष 2010-11 के लिए प्रक्षेपित आय निम्न प्रकार है : -

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	**शीर्ष**	**2009-10**	**2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) अनंतिम**	**2010-11 प्रक्षेपित**
1.	अनुदान सहायता (गैर-योजनागत)	650.00	440.24	650.00
2.	अनुदान सहायता (योजनागत)	434.00	524.50	550.00
3.	प्रायोजित परियोजनाएं	536.38	146.89	395.00
4.	अन्य आय	11.14	3.00	11.00

स्वायत्त संगठनों का कार्य-निष्पादन

2010-11 के दौरान कार्य-निष्पादन

(अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक)

संस्थान द्वारा वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान पूरी की गई गतिविधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

1 शिक्षा एवं प्रशिक्षण

1.1 शिक्षा

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	मानव संसाधन योजना और विकास में उन्नत डिप्लोमा (16 नवम्बर 2009- 16 अगस्त, 2010)	09 महीने	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 24
2.	मानव संसाधन योजना और विकास में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम (फरवरी 1, 2009-जनवरी 31, 2010)	12 महीने	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 49

उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागियों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई.टी.ई.सी.) स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न विकासशील और अल्प-विकसित देशों से लिया गया था। प्रतिभागियों को गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा मास्टर डिग्री प्रदान की गई थी।

1.2 प्रशिक्षण

अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी

क्रम संख्या	निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या	अभ्युक्ति/अवधि
1.	विदेश मंत्रालय	वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 25 प्रतिभागी	10 सितम्बर से 10 अक्तूबर, 2010
2.	विदेश मंत्रालय	मानव संसाधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 28 प्रतिभागी	12 जुलाई से 3 सितम्बर, 2010
3.	विदेश मंत्रालय	मानव संसाधन योजना और विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से 28 प्रतिभागी	20 अक्तूबर से 20 दिसम्बर 2010

2. 2010-11 की अवधि में प्रगति पर चल रहे अध्ययन

क्रम संख्या	निम्नलिखित द्वारा प्रायोजित	अध्ययन का विषय	अभ्युक्तियां
1	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	राष्ट्रीय तकनीकी जनसाधन सूचना प्रणाली	प्रगति अधीन
2	हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित	झज्जर जिले के लिए व्यापक जिला कृषि योजना	प्रगति अधीन
3	योजना आयोग द्वारा प्रायोजित	लक्षद्वीप की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन	पूर्ण
4	योजना आयोग द्वारा प्रायोजित	महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण की प्रशिक्षु स्कीम का मूल्यांकन	प्रगति अधीन
5	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि नवप्रर्वतन परियोजना (एनएआईपी)	कृषि में भावी मानव पूंजी जरूरत का आकलन	प्रगति अधीन
6	यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित	यूनीसेफ - केसीसीआई ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम (3 जून से 31 जुलाई, 2010	पूर्ण

आईएएमआर प्रकाशन

प्रकाशित

प्रकाशन अधीन

वर्किंग पेपर्स

1. भारत में कृषि संसाधन के क्षेत्रीय आयाम द्वारा डॉ केएस राव।
2. खाद्य प्रौद्योगिकी होटल प्रबंधन और कैटरिंग के लिए सुविधाओं पर विश्लेषण पत्र- एनटीएमआईएस आंकड़ों का विश्लेषण द्वारा डॉ पीके सक्सेना।
3. भारत में अर्थशास्त्र के इंजीनियरों के नियोजन की रूपरेखा द्वारा मधु श्रीवास्तव
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभियांत्रिकी इंजीनियरों के लिए शिक्षा और नियोजन बाजार के लिए सुविधाएं - द्वारा एचके वार्ष्णेय
5. इंजीनियरी शिक्षा और लघु उद्योग - क्रॉस विश्लेषण की आवश्यकता - द्वारा अनिल के0 माथुर
6. भारत में विद्युत इंजीनियरी जनसंसाधनों से संबंधित मुद्दे- द्वारा आदिति रॉय।
7. भारत में प्रबंधन शिक्षा - एसके शर्मा द्वारा प्रस्तुत कुछ मुद्दे
8. भारत में आईटी शिक्षा और रोजगार का परिदृश्य - द्वारा डॉ0 एमआर प्रसाद।
9. भारत में फार्मेसी के जनसंसाधन - मांग और आपूर्ति का विश्लेषण द्वारा डॉ ए कमला देवी।

10. हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा - भावी संभावनाओं का विश्लेषण द्वारा - योगेश कुमार एवं विजय के सक्सेना।
11. तकनीकी शिक्षा में जैव प्रौद्योगिकी की क्रांति चुनौतियों और नीतिगत विकल्प द्वारा डॉ0 जीपी जोशी।
12. भारत में छात्र गतिशीलताः अंतर क्षेत्रकीय विश्लेषण- डॉ0 एके यादव।
13. केरल में तकनीकी शिक्षा - विश्लेषणात्मक संभावनाएं - योगेश कुमार और विजय के0 सक्सेना
14. उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा - विश्लेषणात्मक संभावनाएं - गायत्री पाण्डेय, योगेश कुमार
15. उत्तराखंड मं तकनीकी शिक्षा - विश्लेषणात्मक संभावनाएं - गायत्री पाण्डेय और योगेश कुमार।

जनशक्ति पत्रिकाएं

1. खण्ड 45 संख्या 2 (अप्रैल - जून, 2010)
2. खण्ड 45 संख्या 3 (जुलाई - सितम्बर, 2010)
3. खण्ड 45 संख्या 4 (अक्तूबर - दिसंबर, 2010)

रिपोर्टें

1. इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के लिए अखिल भारतीय रोजगार परिदृश्य की रिपोर्ट, 2008
2. इंजीनियरिंग डिग्री संस्थाओं के संस्थागत विकास पर रिपोर्ट, 2008
3. इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के लिए अखिल भारतीय रोजगार परिदृश्य पर रिपोर्ट, 2008

सांख्यिकीय वित्त पुस्तक

1. जनसंसाधन रूपरेखा वार्षिक पुस्तक 2010
2. तकनीकी जनसंसाधन रूपरेखा 2010

तकनीकी संस्थाओं की निर्देशिका

1. चंडीगढ़/यूटी
2. हिमाचल प्रदेश राज्य
3. पंजाब राज्य
4. दिल्ली राज्य
5. हरियाणा राज्य